



# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

बारा ग्राम पंचायत

कौशाम्बी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार







# कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



बारा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



## प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

## तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन  
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

## मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव  
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

### जिला प्रशासन

श्री मधुसूदन हुल्गी, आईएएस, जिलाधिकारी, कौशाम्बी  
श्री सुखराज बन्धु, पीडीएस, मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी

### वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ  
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक  
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज वजीह, अध्यक्ष

## लेखक

### वसुधा फाउंडेशन

सुश्री वसुंधरा सिंह, सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री रिनी दत्त, सुश्री शिविका सोलंकी

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

## शोध समर्थन

### वसुधा फाउंडेशन

डॉ प्रीती सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

### बारा ग्राम पंचायत

श्री अजय यादव, ग्राम प्रधान

## क्षेत्रीय शोध समर्थन

### ग्राम्य, वाराणसी

श्री आशुतोष श्रीवास्तव, सुश्री सुरेन, सुश्री बिंदु, श्री त्रिभुवन, सुश्री नीतू

## डिज़ाइन एवं लेआउट

### वसुधा फाउंडेशन

श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया









## संदेश



ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-बारा, विकास खण्ड-कौशाम्बी, जनपद-कौशाम्बी की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये ज़मीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है, जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी. ई. ए. जी), गोरखपुर, उ०प्र०, को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगा।

धन्यवाद !

  
(मधुसूदन हुल्गी)  
जिलाधिकारी,  
कौशाम्बी



सुखराज बन्धु  
P.D.S.  
मुख्य विकास अधिकारी



### संदेश

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा ग्राम्य संस्था, वाराणसी जी०ई०ए०जी० गोरखपुर, उ०प्र० के समर्पित प्रयासों के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है, जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते हैं।

धन्यवाद !

  
(सुखराज बन्धु)





# ग्राम पंचायत बारा

विकास खण्ड - कौशाम्बी, जनपद कौशाम्बी

ग्राम प्रधान  
अजय यादव

कार्यालय व निवास :  
ग्राम - बारा  
जनपद - कौशाम्बी  
मो. 9919475945, 8795201444

पत्रांक...12...

दिनांक 29.07.2024

ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत-बारा  
विकास खण्ड-कौशाम्बी, जनपद-कौशाम्बी

## आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत -बारा विकास खण्ड-कौशाम्बी, जनपद-कौशाम्बी की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु से उत्पन्न चुनौतियों हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों के भलाई के लिए उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आकड़ों को एकत्रित किया गया। आकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था ग्राम्य संस्था वाराणसी व गोरखपुर इन्वायरमेन्ट एक्शन ग्रुप (जी0ई0ए0सी0) गोरखपुर का आकड़ें एकत्रित करने में हमारे ग्राम वासियों के समर्थन व सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद। हम सभी मिलकर हमारी ग्राम में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे। जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। प्रत्येक ग्रामीण की जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन उ0प्र0 और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउण्डेशन नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गये आकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्राम वासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़े और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद.....

ग्राम प्रधान  
अजय यादव  
ग्राम पंचायत बारा  
वि0 ख0 व जनपद-कौशाम्बी

(ग्राम प्रधान)  
ग्राम पंचायत-बारा  
विकास खण्ड-कौशाम्बी, जनपद-कौशाम्बी





# विषय-वस्तु

1	<b>कार्यकारी सारांश</b>	1
2	<b>ग्राम पंचायत की रूपरेखा</b>	4
	1. बारा ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	2. जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	3. प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	4. कार्यरत महिलाएं	7
	5. कृषि	8
	6. प्राकृतिक संसाधन	8
	7. बारा में सुविधाएं	9
3	<b>कार्बन फुटप्रिंट</b>	10
4	<b>व्यापक मुद्दे</b>	11
5	<b>प्रस्तावित मुद्दाव</b>	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. सतत कृषि	18
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	23
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	27
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	32
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	42
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	45
6	<b>विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची</b>	49
7	<b>अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव</b>	55
8	<b>आगे की राह</b>	61
9	<b>अनुलग्नक</b>	62

## चित्र

चित्र 1:	बारा ग्राम पंचायत, कौशाम्बी ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2:	बारा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2014	6
चित्र 3:	बारा में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2014	6
चित्र 4:	बारा में घरेलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	7
चित्र 5:	बारा में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान	7
चित्र 6:	बारा में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7:	बारा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8:	बारा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	8
चित्र 9:	बारा में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	8
चित्र 10:	2022 में बारा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 11:	2022 में बारा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



## कार्यकारी सारांश

**कौ**शाम्बी जिले की बारा ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बारा की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना, ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर जलवायु संबंधी कार्यवाही को मजबूत करने और 2035 तक इसे क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कार्ययोजना एक ग्राम पंचायत-विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जो लचीला बनाने, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती है, साथ ही, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ भी प्राप्त होते हैं।

यह कार्ययोजना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर तैयार की गई है। बारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे बारा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

कार्ययोजना<sup>1</sup> प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, मध्य मैदानी क्षेत्र-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए बारा ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार बनाने और बारा ग्राम पंचायत के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि ग्राम पंचायत में दो राजस्व गांव और 448 घर हैं जिनकी कुल जनसंख्या<sup>2</sup> 2,637 है। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि और पशुपालन सम्मिलित

### दृष्टिकोण

#### प्राथमिक सर्वेक्षण टूल तैयार करना

**सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करना:** पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से अंकड़े एकत्र किए गए।

#### आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ग्राम पंचायत की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस रूपरेखा में बारा की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं सम्मिलित हैं।

**प्रमुख मुद्दों की पहचान:** सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।

**कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान:** बारा में प्रमुख गतिविधियों\* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।

**प्रस्तावित अनुशंसाएं:** पहचाने गए पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दों के आधार पर बारा के लिए अनुशंसाएं तैयार की गईं। इन अनुशंसाओं में मध्य मैदानों की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, बारा की क्षेत्र-वार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्य योजना को तैयार करने के दौरान एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

\*गतिविधियों में सम्मिलित हैं- बिजली का उपभोग, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसलों के अवशेष को जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, चावल की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और गंभीर जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (HRVCA) के पहलू सम्मिलित हैं  
2 जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार : कुल जनसंख्या - 1,862

हैं। एक आधारभूत आकलन से पता चलता है कि बारा ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट 1,638 tCO<sub>2</sub>e है।<sup>3</sup>

बारा ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए पहचाने गए कुछ प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- कृषि तालाबों के निर्माण, वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बढ़ावा देने, सामुदायिक भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से वर्तमान जल निकायों के कार्याकल्प जैसे उपायों के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन में सुधार करना
- जलवायु अनुरूप फसलों, जैविक उर्वरकों और कृषि-वानिकी गतिविधियों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- घरेलू ऊर्जा संबंधी गाय के गोबर/ईंधन की लकड़ी के उपयोग और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन/ की आवश्यकताओं से स्थायी विकल्पों की ओर परिवर्तित करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा (RE) का उपयोग और सौर ऊर्जा चालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप और सोलर रूफटॉप स्थापना जैसे ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना।

कमजोर क्षेत्रों, समूह केंद्रित चर्चाओं, क्षेत्र सर्वेक्षणों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों से उभरकर सामने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, संस्तुतियाँ प्रस्तावित की गई हैं। संस्तुतियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाने, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ गतिशीलता, और उन्नत आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है - चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार आगे वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

बारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे बारा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) निम्नलिखित द्वारा बारा जीपीडीपी (GDP) को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिपेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास प्रयासों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को बारा जीपीडीपी की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कार्याकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची ( जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम की गई कुल उत्सर्जन मात्रा प्रति वर्ष 1,110 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO<sub>2</sub>e) होने का अनुमान है, तथा अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 98,000 tCO<sub>2</sub> तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹37 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग सम्मिलित हैं। इससे आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹13 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी राशियों से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को संभावित रूप से सम्मिलित करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।


3 इसमें जीपी के भीतर बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा 2 सम्मिलित है (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक)

# वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना

















## क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



## बारा

बारा ग्राम पंचायत एक नज़र में<sup>4</sup>

	<b>स्थान</b>	कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी ज़िला
	<b>कुल क्षेत्रफल<sup>5</sup></b>	178 हेक्टेयर
	<b>संयोजन</b>	2 राजस्व गांव
	<b>कुल जनसंख्या<sup>6</sup></b>	2,637
	<b>पुरुषों की संख्या</b>	1,384
	<b>महिलाओं की संख्या</b>	1,253
	<b>कुल परिवार<sup>7</sup></b>	448
	<b>पंचायत अवसंरचनाएं</b>	6 (पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य उप-केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र)
	<b>प्राथमिक आर्थिक गतिविधि</b>	कृषि एवं पशुपालन

	<b>भूमि-उपयोग<sup>8</sup></b>	कृषि भूमि - 140 हेक्टेयर शेष भूमि - 38 हेक्टेयर (आवासीय क्षेत्र और जल निकाय)
	<b>जल संसाधन</b>	8 तालाब 1 नहर
	<b>कृषि जलवायु क्षेत्र<sup>9</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मध्य मैदानी क्षेत्र</li> <li>जलवायु की स्थिति: गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ अर्ध-शुष्क से उप-आर्द्र जलवायु</li> <li>न्यूनतम तापमान: 5.5°C</li> <li>अधिकतम तापमान: 45 डिग्री सेल्सियस</li> <li>औसत वार्षिक वर्षा-863 mm</li> <li>मिट्टी: जलोढ़ मिट्टी गेहूं, दलहन और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है</li> </ul>
	<b>जिले की समग्र भेद्यता<sup>10</sup></b>	निम्न
	<b>जिले की क्षेत्रीय भेद्यता</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जल भेद्यता: अधिक</li> <li>आपदा प्रबंधन की भेद्यता: अधिक</li> <li>ग्रामीण विकास भेद्यता: अधिक</li> <li>ऊर्जा भेद्यता: अधिक</li> <li>कृषि भेद्यता: मध्यम</li> <li>स्वास्थ्य भेद्यता: मध्यम</li> </ul>

4 योजना की तैयारी के लिए आयोजित फ़ील्ड सर्वेक्षण से आंकड़ें (फरवरी, 2023)

5 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षण में बताया गया है

6 जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार : कुल जनसंख्या-1,862; पुरुष-973 और महिला-889

7 317 पक्के घर और 131 (मिट्टी, फूस, टिन) कच्चे घर


8 प्राथमिक फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

9 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

10 उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0



**बारा ग्राम पंचायत**  
**कौशाम्बी ब्लॉक**  
**कौशाम्बी ज़िला**  
**उत्तर प्रदेश राज्य**



Source: Space Based Information Support for Decentralized Planning  
<https://bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in/>

**चित्र 1:** बारा ग्राम पंचायत, कौशाम्बी ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र

## जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)<sup>11</sup> से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता डेटा (तापमान और वर्षा) से पता चलता है कि 2014 में औसत वार्षिक न्यूनतम तापमान 1990 की तुलना में 0.14°C अधिक था (चित्र 2 देखें)। समान समय सीमा के दौरान, वार्षिक वर्षा में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है (चित्र 3 देखें) हालांकि, आईएमडी के आंकड़े पंचायत स्तर पर तापमान में होने वाली व्यापक परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाते हैं तथा इसके अलावा, कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया, संपूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है।<sup>12</sup> अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)<sup>13</sup> और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)<sup>14</sup> के द्वारा इसी तरह के निष्कर्ष की पुष्टि भी की गई है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चाओं से प्राप्त मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मियों के दिनों की संख्या में औसतन 45 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 45 दिनों की कमी देखी गई है। उनसे यह भी पता चला कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 60 दिनों की कमी आई है।<sup>15</sup>

ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता के विश्लेषण में आईएमडी के आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।


11 इलाहाबाद(बम्हरोली(अ)) स्थित IMD मौसम केंद्र से बारा ग्राम पंचायत के लिए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) डेटा और दैनिक वर्षा डेटा लिया गया।

12 2023 में एशिया में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>


13 AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023(ipcc.ch) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

14 भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक रिपोर्ट <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>

15 योजना तैयार करने के लिए किए गए फ्रील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े



चित्र 2: बारा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2014



चित्र 3: बारा में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2014

## प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ


ग्राम पंचायत में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें लगभग 57 प्रतिशत परिवार सम्मिलित हैं (चित्र 4 देखें)। इसके बाद स्वरोजगार (14 प्रतिशत), पशुपालन (12 प्रतिशत), गैर-कृषि मजदूरी (8 प्रतिशत) से जुड़े हुए हैं। कुछ अन्य घर सेवा क्षेत्र, स्थानीय व्यवसायों, उद्यमशीलता आदि में सम्मिलित हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त घरेलू स्तर की आय के अनुमानों से पता चलता है कि पर्याप्त संख्या में परिवार (49 प्रतिशत) प्रति वर्ष ₹50,000 से कम कमाते हैं, जबकि कम संख्या में परिवार (~8 प्रतिशत) ₹2 लाख से ₹5 लाख रुपये के बीच कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।


राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 95 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से, लगभग 50 प्रतिशत परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड<sup>16</sup> हैं (चित्र 6)।

16 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTJjMDU5NTYx>






चित्र 4: बारा में घरेलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत




चित्र 5: बारा में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान



चित्र 6: बारा में राशन कार्ड वाले परिवार

## कार्यरत महिलाएं

बारा ग्राम पंचायत में, 455 कामकाजी महिलाएं हैं, जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षण में बताया गया है। ये महिलाएं ज्यादातर कृषि और गैर-कृषि मजदूरी में संलग्न हैं। रोजगार के अन्य स्रोतों में पशुपालन भी सम्मिलित है। कम संख्या में महिलाएं व्यवसाय और सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षण, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों में संलग्न हैं (चित्र 7 देखें)। 37 महिला प्रधान परिवार हैं<sup>17</sup> जो पंचायत में कुल घरों का ~9 प्रतिशत है। फ़ील्ड सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि 9 स्वयं सहायता समूह कृषिगत गतिविधियों में सम्मिलित हैं।




चित्र 7: बारा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या

17 महिला-प्रधान परिवार वे परिवार होते हैं जहां महिलाएं एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।


## कृषि

ग्राम पंचायत में, 57 प्रतिशत परिवार अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं जैसा कि चित्र 4 में देखा गया है। ये परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि से जुड़े हुए हैं<sup>18</sup> (चित्र 8 देखें)।



चित्र 8: बारा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार

बारा में कुल बुवाई का क्षेत्रफल 140 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्रफल 334 हेक्टेयर है। चित्र 9 ग्राम पंचायत में सकल फसली क्षेत्रफल का फसल-वार वितरण देता है। उगाए जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलों में धान (5,282 क्विंटल), बाजरा (74 क्विंटल) और अरहर (65 क्विंटल) हैं। रबी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूँ (4,691 क्विंटल), सरसों (93 क्विंटल), चना (68 क्विंटल), मटर (45 क्विंटल) और आलू (93 क्विंटल) हैं। सिंचाई पद्धति नलकूपों और पंपिंग सेटों के उपयोग के साथ वर्षा आधारित है। ग्राम पंचायत में 9 ग्रिड से जुड़े इलेक्ट्रिक पंप और एक सोलर पंप लगे हैं।



चित्र 9: बारा में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की 12 प्रतिशत आबादी पशुपालन में लगी हुई है। कुल पशुधन आबादी 737 है (205 गाय, 361 भैंस, 156 बकरियाँ और 15 सुअर)। इसके साथ-साथ 260 पोल्ट्री पक्षी हैं। ग्राम पंचायत में मत्स्य पालन भी किया जाता है।

## प्राकृतिक संसाधन

बारा में 8 तालाब और एक नहर है। बारा में कृषि वानिकी के रूप में सामाजिक वानिकी गतिविधियाँ आमतौर पर जून-जुलाई के महीने में की जाती हैं, मौजूदा समय में, ये वृक्षारोपण कुल 1.25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से अधिकतर तालाबों के आसपास है। वृक्षारोपण में सागौन, महुआ, शीशम, अमरूद, आम, नींबू (45% बागवानी प्रजातियाँ और 55% अन्य प्रजातियाँ) जैसी मिश्रित प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था, जिसमें 20 प्रतिशत जीवित रहने की दर बताई गई है। फील्ड सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कोई वन भूमि नहीं है।

18 ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि संबंधी कार्य में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटी जमीन के मालिक भी बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी भूमि के स्वामित्व वाले किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।

## बारा में सुविधाएं

### बिजली और घरेलू गैस (एलपीजी)

- बिजली तक पहुंच: 98% घर
- LPG कवरेज- 89% घर



### जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति हेतु पानी का मुख्य स्रोत: भूजल है

### अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्त (ODF) का दर्जा प्राप्त हुआ।
- घरेलू शौचालय का कवरेज: 98%

### आवागमन एवं बाज़ार तक पहुंच

- राज्य राजमार्ग (SH 94)
- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 19) - 40 किमी
- निकटतम रेलवे स्टेशन, बम्हरोली- 37 किमी
- निकटतम बस स्टेशन - 8 किमी
- निकटतम बैंक-0.5 किमी
- सरकारी राशन की दुकान-0.3 किमी




### शिक्षण संस्थान

- ग्राम पंचायत की सीमा में प्राथमिक विद्यालय
- उच्च प्राथमिक विद्यालय-1.5 किमी
- हाई स्कूल-2.5 किमी
- डिग्री कॉलेज - 0.5 किमी
- ग्राम पंचायत की सीमा में प्राथमिक विद्यालय

### स्वास्थ्य संस्थान


- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - 0.4 किमी
- उप-स्वास्थ्य केंद्र - 0.5 किमी
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - 0.5 किमी
- 1 आंगनवाड़ी केंद्र-0.5 किमी
- जिला अस्पताल - 9 किमी



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, अनुशंसाओं में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (GHG) के प्रक्षेपण को सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट, LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, बारा ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से ~1,638 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) उत्सर्जित किया जाता है (चित्र 10 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने बारा के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया है। कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का प्रयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से होने वाला उत्सर्जन, तथा फसल अवशेष जलाने से होने वाला उत्सर्जन सम्मिलित है। ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन बिजली की खपत<sup>19</sup>, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (LPG) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों के उपयोग, पावर बैकअप के लिए जेनरेटर के उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।



चित्र 10: 2022 में बारा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कृषि क्षेत्र में कुल उत्सर्जन का 58 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें धान की खेती (521.7 tCO<sub>2</sub>e) और पशुधन (~378 tCO<sub>2</sub>e) से होने वाला उत्सर्जन ग्रीनहाउस प्रभाव (GHG) उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान लगभग 35 प्रतिशत है। इस क्षेत्र के भीतर, घर में खाना पकाना प्रमुख उत्सर्जक है (~203 tCO<sub>2</sub>e), इसके बाद बिजली की खपत (176 tCO<sub>2</sub>e), परिवहन (~157 tCO<sub>2</sub>e) और आवासीय जेनरेटर (~48 tCO<sub>2</sub>e) है। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र का योगदान लगभग 7 प्रतिशत है।



चित्र 11: 2022 में बारा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

19 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है

**ग्रा**म पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दों को संस्तुतियों वाले अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

### व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ फसलों की बुवाई का समय, कटाई का समय और सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई के लिए अत्यधिक दोहन के कारण भूजल में कमी।
- अपर्याप्त पानी की उपलब्धता।
- जल निकासी की खराब आधारभूत संरचना के कारण मानसून के मौसम में भी जलजमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है।
- अस्थायी कृषि और पशुपालन की पद्धतियाँ।
- सीमित स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियाँ।
- प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में कमी।
- कृषि और परिवहन की आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव।

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझावों/संस्तुतियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। हस्तक्षेपों का वर्णन **चरणबद्ध लक्ष्यों** और **लागत अनुमानों**<sup>20</sup> (जहाँ तक संभव हो) के साथ किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण-I (2024-25 से 2026-27); चरण-II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए आगे वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है"। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के लिए पहचाने गए वित्तपोषण के साधनों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधियों या सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से निजी वित्त सम्मिलित हैं। विस्तृत गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।


### कार्ययोजना में प्रस्तावित संस्तुतियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत कृषि
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों/संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन प्रयासों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इन प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इसलिए, उन्हें मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

20 लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत का अनुमान, अथवा आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।

# 1 जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



## संदर्भ और मुद्दे<sup>21</sup>

- बारा ग्राम पंचायत कृषि और घरेलू दोनों आवश्यकताओं के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत भूजल पर निर्भर है। गर्मियों के दौरान, भूजल स्तर में गिरावट आती है जो ग्राम पंचायत में पीने के पानी की उपलब्धता को प्रभावित करती है।<sup>22</sup>
- ग्राम पंचायत के पास 8 तालाब हैं, जिनमें से अधिकतर का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है तथा वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं। इसलिए, ग्राम पंचायत में स्थानीय जल संसाधनों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- बारा में जलजमाव एक और चिंता का विषय है, विशेष रूप से मानसून के मौसम में, क्योंकि खराब जल निकासी नेटवर्क के कारण जलाशयों और नालियों में अपशिष्ट जमा हो जाता है, जिससे जल जनित बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है और पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं।<sup>23</sup>
- भूजल पर निर्भरता जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने के लिए जल संसाधन प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।<sup>24</sup>

बारा में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

## जल निकायों का रखरखाव

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>तालाबों का जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार</li> <li>कुओं की सफाई और मरम्मत</li> <li>हैंड पंप की रिबोरिंग</li> <li>सिंचाई के उद्देश्य के लिए नहर की मरम्मत</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>तालाबों के चारों ओर अतिरिक्त पेड़ लगाना</li> <li>चरण I की गतिविधियों का विस्तार</li> <li>समुदाय एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>तालाबों का नियमित रखरखाव</li> <li>चरण I की गतिविधियों का विस्तार</li> </ol>

21 जैसा कि क्षेत्र के सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित संसाधनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

22 जैसा कि क्षेत्र के सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित संसाधनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

23 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर

24 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. तालाबों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाना</li> <li>6. जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण को बेहतर करने और विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का क्षमता विकास।</li> </ol>		
---	--	--

## लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. विशिष्ट स्थानों पर 8 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया<sup>25</sup></li> <li>2. 2 कुओं की सफाई और मरम्मत<sup>26</sup></li> <li>3. 10 हैंड पंप की रिबोरिंग<sup>27</sup></li> <li>4. नहर के 3.5 किमी हिस्से की मरम्मत<sup>28</sup></li> <li>5. ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ लगाना (जल निकायों चारों ओर)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 तालाबों और 2 कुओं का रखरखाव</li> <li>2. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ लगाए गए</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 तालाबों और 2 कुओं का रखरखाव</li> <li>2. आवश्यकतानुसार चरण 1 की गतिविधियों का विस्तार</li> </ol>
--	---	---

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 तालाबों का जीर्णोद्धार: ₹56,00,000</li> <li>2. कुओं की सफाई और मरम्मत: ₹1,80,000</li> <li>3. 10 हैंडपंप: ₹2,00,000</li> <li>4. नहर की मरम्मत: ₹3,50,000</li> <li>5. जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में सम्मिलित किया गया: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹63 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 तालाब और 2 कुओं का रखरखाव: ₹37,50,000</li> <li>2. जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में सम्मिलित किया गया: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹37.5 लाख</p>	<p>8 तालाब और 2 कुओं का रखरखाव: ₹37,50,000</p> <p>कुल लागत: ₹37.5 लाख</p>
--	--	---

25 विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण देखें

26 विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण देखें

27 विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण देखें

28 विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण देखें





## जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>जलजमाव को रोकने के लिए मौजूदा नालियों की मरम्मत और खुदाई</li> <li>नए जल निकासी नेटवर्क का निर्माण</li> </ol>	नालियों और जल निकायों का नियमित रखरखाव	नालियों और जल निकायों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>जलजमाव को रोकने के लिए मौजूदा नालियों की मरम्मत और खुदाई<sup>29</sup></li> <li>विशिष्ट स्थानों पर 1.15 किलोमीटर के नए जल निकासी नेटवर्क का निर्माण<sup>30</sup></li> </ol>	नालियों का नियमित रखरखाव	नालियों का नियमित रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>नाली की मरम्मत एवं खुदाई: ₹1,75,000</li> <li>नए जल निकासी नेटवर्क का निर्माण: ₹7,50,000</li> </ol> कुल लागत: ₹9.25 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

<sup>29</sup> विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण देखें

<sup>30</sup> विशिष्ट स्थान के विवरण के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण देखें

## वर्षा जल के संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>पंचायत में स्थित सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1,500 वर्ग फीट से अधिक के भूखंड वाले आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच के बुनियादी ढांचे की स्थापना</li> <li>सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1,000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li> <li>सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li> </ol>
लक्ष्य	6 PRI भवनों में आरडब्ल्यूएच - 10m <sup>3</sup> की भंडारण क्षमता वाले पुनर्भरण गड्ढों की स्थापना	132 पक्के घरों में 10 m <sup>3</sup> की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना करना	153 पक्के घरों में 10 m <sup>3</sup> की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना करना
अनुमानित लागत	आरडब्ल्यूएच: ₹2,10,000 कुल लागत : ₹2.1 लाख	आरडब्ल्यूएच: ₹46,20,000 कुल लागत: ₹46.2 लाख	आरडब्ल्यूएच: ₹53,55,000 कुल लागत: ₹53.5 लाख

## भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>भूजल प्रबंधन के लिए पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र               <ul style="list-style-type: none"> <li>» जल संरक्षण की जरूरत</li> <li>» मौजूदा जल संसाधनों का प्रबंधन</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>अधिक पुनर्भरण गड्ढे/खाइयां खोदना</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> <li>वीडब्ल्यूएससी और स्वयं सहायता समूह जल संसाधनों और पुनर्भरण गड्ढों के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> <li>जल संसाधनों और पुनर्भरण गड्ढों का निरंतर रखरखाव</li> </ol>

	3. जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC), निर्माण कार्य समिति (CWC) और स्वयं सहायता समूहों का क्षमता विकास		
<b>लक्ष्य</b>	20 पुनर्भरण गड्ढे	30 और पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई	आवश्यकतानुसार
<b>अनुमानित लागत</b>	पुनर्भरण गड्ढे: ₹7,00,000 कुल लागत : ₹7 लाख	पुनर्भरण गड्ढे: ₹10,50,000 कुल लागत: ₹10.5 लाख	आवश्यकतानुसार

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी/ सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग ग्राम पंचायत में गुरुत्वाकर्षण आधारित/ सौर संचालित आरओ जल निस्पंदन प्रणाली की स्थापना के लिए किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

# 2

## सतत कृषि



### संदर्भ और मुद्दे

- बारा में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 140 हेक्टेयर है और कुल सकल फसल क्षेत्रफल लगभग 334 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 57% परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 12% परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूं (~146 हेक्टेयर), धान (~153 हेक्टेयर), सरसों (~8 हेक्टेयर), अरहर (~8 हेक्टेयर), आलू (~4 हेक्टेयर) हैं।<sup>31</sup>
- बारिश में देरी के कारण धान की बुआई का समय जून-जुलाई से जुलाई-अगस्त में बदल गया है। गेहूं के विषय में, मिट्टी की नमी कम होने के कारण नवंबर से दिसंबर तक बुवाई का समय बदल गया है।<sup>32</sup>
- पिछले वर्ष में कम दिनों में हुई तीव्र वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ है।
- बारा में किसान प्रति वर्ष लगभग 12 टन यूरिया, लगभग 7 टन डीएपी तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष लगभग 23 टन CO<sub>2</sub>e ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। बारा में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।<sup>33</sup>
- उपलब्ध योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी ना होने के कारण ग्राम पंचायत में किसान फसल बीमा को कम अपनाते हैं। जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षण में बताया गया है, ग्राम पंचायत में किसान उत्पादक संगठन और बीज बैंक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप किसान बेहद खराब मौसम की घटनाओं के दौरान जोखिम का प्रबंधन करने में विफल हो जाते हैं।
- जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला कि कृषि में जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बिन्दु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और लचीली कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

31 सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

32 जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया

33 जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया



## जलवायु लचीलेपन का निर्माण

### चरण

### सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनाना</li> <li>भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए कृषि तालाबों के निर्माण को बढ़ावा देना</li> <li>खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण</li> <li>किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>मेड़बंधी का विस्तार</li> <li>अधिक कृषि तालाबों का निर्माण</li> <li>किसानों को उनकी फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना और किसानों को सहायता प्रदान करने की पहल जारी रखना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>19 हेक्टेयर (सरसों, अरहर और मटर के अंतर्गत कृषि भूमि के 100% को कवर किया गया) में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू करना</li> <li>70 हेक्टेयर में पेड़ों से मेड़बंधी बनाया जाना (कृषि के कुल क्षेत्रफल का 50%)</li> <li>जहां तक संभव हो 300 m<sup>3</sup> क्षमता वाले 5-10 कृषि तालाबों का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त 70 हेक्टेयर में पेड़ों के साथ मेड़बंधी हैं (कृषि भूमि का 100%)</li> <li>जहां तक संभव हो, 15-20 कृषि तालाबों का निर्माण</li> </ol>	मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई: ₹19,00,000</li> <li>मेड़बंधी: ₹1,25,490</li> <li>कृषि तालाब: ₹4,50,000 से ₹9,00,000</li> </ol> कुल लागत: ₹29.25 लाख	<ol style="list-style-type: none"> <li>मेड़बंधी: ₹1,25,490</li> <li>खेत के तालाब: ₹13,50,000 - ₹18,00,000</li> </ol> कुल लागत: ₹19.25 लाख	आवश्यकतानुसार



## प्राकृतिक खेती को अपनाना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्राकृतिक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। <ul style="list-style-type: none"> <li>» प्रशिक्षण और प्रदर्शन</li> <li>» नर्सरी और स्थानीय बीज बैंक का विकास (अनुभाग " विचारार्थ अतिरिक्त परियोजनाओं की सूची" देखें)</li> <li>» जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू किया जाना</li> <li>» बाजार से जुड़ाव का पता लगाया जाएगा</li> </ul> </li> <li>मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने, कीटों को कम करने और पैदावार में सुधार के लिए मिश्रित फसल, फसल चक्रण, मल्लिग, शून्य जुताई जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना)</li> <li>पहले चरण में लागू गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनाना</li> </ol>
लक्ष्य	21 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	56 हेक्टेयर (अतिरिक्त 40 प्रतिशत) भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	शेष 63 हेक्टेयर (प्राकृतिक खेती के लिए 100% कृषि भूमि) में परिवर्तन
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹51,89,100 कुल लागत: ₹52.49 लाख</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ~₹1,38,37,600 कुल लागत: ₹1.38 करोड़</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000</li> <li>भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ~₹1,55,67,300 कुल लागत: ₹1.56 करोड़</li> </ol>





## सतत पशुधन प्रबंधन

### चरण

(2024-25 से 2026-27)



(2027-28 से 2029-30)



(2030-31 से 2034-35)

### सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता विकास करना
2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित करना
3. पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें।

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

### लक्ष्य

1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पशुपालन क्रियाएँ/गतिविधियों, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. पैरा-वेट का प्रशिक्षण<sup>34</sup>

1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ/गतिविधियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. पशुधन प्रबंधन के स्वास्थ्य के लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ/गतिविधियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. पशुधन प्रबंधन के स्वास्थ्य के लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

### अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), उ0प्र0 बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है

34 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

- जैविक खेती गतिविधियों को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (NCOF और RCOF), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता विकास में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता विकास का लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- फसल-उपरांत नुकसान को न्यूनतम करने के लिए शीत-भंडारण सुविधा की स्थापना एवं संचालन ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजीएसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि गतिविधियों को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता विकास प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, बारा में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजीएसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता विकास क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- मत्स्य पालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, कौशाम्बी



# 3

## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



### संदर्भ और मुद्दे

- ग्राम पंचायत के भीतर कोई सीमांकित वन क्षेत्र नहीं है। हालांकि, तालाबों के आसपास ~1.25 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हैं, जो मनरेगा वृक्षारोपण गतिविधियों का हिस्सा हैं।
- इन वृक्षारोपण में सागौन, महुआ, शीशम, अमरूद, आम, नींबू जैसी प्रजातियां सम्मिलित हैं।

बारा ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



### हरित क्षेत्र में सुधार

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित<sup>35</sup> वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियाँ:               <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों के लिए <b>ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम</b><sup>36</sup> (5 छात्रों का चयन)</li> <li>देशी फल वाले पेड़ों को लगाकर <b>खाद्य वन</b> का निर्माण</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव</li> <li><b>बाल वन</b><sup>37</sup> के सृजन के साथ अतिरिक्त पौधरोपण</li> <li>किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव - <b>बाल वन</b> और अन्य वृक्षारोपण</li> <li>~ 58 हेक्टेयर (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त 100% भूमि) कृषि वानिकी पहल के अंतर्गत कवर की गई है<sup>38</sup></li> </ol>

35 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्षों की प्रजातियाँ

36 स्कूल के छात्रों को पेड़ लगाने के कार्यों में सम्मिलित किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

37 नए माता-पिता को उनके बच्चे को जन्म देने के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार पेड़ों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें उनके बच्चों की देखभाल के साथ-साथ इन पौधों की देखभाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

38 सब्जी और गेहूँ के अंतर्गत लगभग 58 हेक्टेयर कृषि भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है

2. **आरोग्य वन** तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण
3. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र
  - » वन एवं हरित आवरण का महत्व
  - » पेड़ कैसे लगाएं और उनकी देखभाल कैसे करें

4. **आरोग्य वन** की स्थापना करना
5. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र

3. **आरोग्य वन** का रखरखाव किया जाना तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए यूनिट स्थापित की गई
4. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र

1. ग्राम पंचायत में तालाबों, नदियों, सड़कों और अन्य स्थानों के आसपास सामान्य और लुप्तप्राय वृक्षों के 1,000 पौधे लगाए जाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके)  
पृथक्करण क्षमता<sup>39</sup>: 15 से 20 वर्षों में 5,600 tCO<sub>2</sub> से 10,000 tCO<sub>2</sub>
2. आरोग्य वन की स्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/चिह्नित की गई।

1. लगाए गए और 1,000 से 1,500 पौधों की पृथक्करण क्षमता: 15-20 सालों में 7,000 tCO<sub>2</sub> से 12,500 tCO<sub>2</sub>
2. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव
3. 23 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया गया (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त है), 2,300 पेड़ लगाए गए  
सागौन के वृक्षारोपण की पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 12,880 tCO<sub>2</sub> से 23,000 tCO<sub>2</sub>

1. अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे लगाना  
पृथक्करण क्षमता: 15-20 सालों में 9,800 tCO<sub>2</sub> से 17,500 tCO<sub>2</sub>
2. शेष 35 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया, 3500 पेड़ लगाना अनुक्रम क्षमता: 20 वर्षों में 19,600 tCO<sub>2</sub> से 35,000 tCO<sub>2</sub>
3. आरोग्य वन का रखरखाव किया गया तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना' अनुभाग में दिया गया है)

लक्ष्य

वृक्षारोपण गतिविधियां: ₹12,70,000  
कुल लागत: ₹12.7 लाख

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹15,87,500
2. कृषि वानिकी की लागत: ₹9,20,000  
कुल लागत: ₹25 लाख

1. वृक्षारोपण की कुल लागत : ₹22,22,500
2. कृषि वानिकी की लागत: ₹14,00,000  
कुल लागत: ₹36 लाख

अनुमानित लागत

39 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान



## नर्सरी की स्थापना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देकर बागवानी नर्सरी स्थापित करना</li> <li>नर्सरी को बनाए रखने और चलाने के लिए स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) को प्रशिक्षित करना</li> </ol>	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
लक्ष्य	हरित क्षेत्र को बेहतर बनाने और महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान करने में मदद करने के लिए बागवानी नर्सरी स्थापित करना	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
अनुमानित लागत	नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹1,50,000 कुल लागत: ₹1,50,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



## जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> <li>समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण</li> <li>जागरूकता को सुदृढ़ करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण</li> <li>जागरूकता को सुदृढ़ करना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता विकास</li> <li>जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</li> </ol>	जन जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी है	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी है

1. जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण की लागत<sup>40</sup>: ₹25,000

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उग्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उग्र राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
  - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
  - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
  - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बागवानी नर्सरी जैसी गतिविधियों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- बीएमसी के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (OSR) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

## प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

<sup>40</sup> जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>



# 4

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



### संदर्भ और मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट<sup>41</sup> लगभग 211 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसमें से ~122 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल / जैविक अपशिष्ट और ~ 89 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट (आकलन पद्धति के लिए अनुबंध चतुर्थ देखें) है।
- फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपशिष्ट पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर तालाबों और सड़कों पर कचरा फेंका जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान बंद नालियों के कारण जलजमाव होता है जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है।<sup>42</sup>
- कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा भी बारा में अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं को बढ़ा रही है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन की संख्या 722 है (जिसमें गाय, भैंस और बकरी सम्मिलित हैं) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 7.5 टन प्रतिदिन है जिसे बारा में कम्पोस्ट, वर्मिकम्पोस्ट, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे उपायों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।<sup>43</sup>

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं:

41 आकलन पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

42 जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया

43 यह मानते हुए कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर तथा बकरियां प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर पैदा करती हैं।



## अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

### चरण

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>अजैविक अपशिष्ट के लिए ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा की स्थापना</li> <li>कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन और कर्मचारी नियुक्त किये जाना:               <ul style="list-style-type: none"> <li>» घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग किये गए कचरे का घर-घर से संग्रह</li> <li>» घरों से लेकर ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक</li> </ul> </li> <li>कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और एमएसएमई के बीच साझेदारी स्थापित करना।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव</li> <li>ग्राम पंचायत-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर यूनिट की स्थापना</li> <li>मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए रणनीतिक/चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्नलिखित का रखरखाव               <ul style="list-style-type: none"> <li>» पृथक्करण और भंडारण सुविधाएं</li> <li>» इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन</li> <li>» स्थापित किये गए कूड़ेदान</li> </ul> </li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>448 परिवार (100 प्रतिशत) अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के अंतर्गत आते हैं</li> <li>1 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन</li> <li>20 कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>पंचायत और स्थानीय व्यवसायों, और एमएसएमई, एसएचजी, अनौपचारिक रेगपिकर्स और स्थानीय स्क्रेप डीलरों के बीच कचरे के संग्रह/परिवहन के लिए साझेदारी का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदान लगाना</li> <li>अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का रखरखाव</li> <li>भागीदारी बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>स्थापित मौजूदा कचरे के डिब्बों का रखरखाव</li> <li>भागीदारी बढ़ाना</li> </ol>

## अनुमानित लागत

1. अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा:  
₹3,95,000
  2. 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,00,000
  3. 20 कचरे के डिब्बे: ₹3,00,000
- कुल लागत: ₹77,95,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



## जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट की स्थापना।</li> <li>2. जैविक उर्वरकों के उत्पादन के लिए उद्यमों की स्थापना (अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना" अनुभाग देखें)</li> </ol>	वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव	वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 वर्मीकम्पोस्ट और 5 नाडेप कम्पोस्ट पिट की स्थापना</li> <li>2. घरेलू कचरे से उत्पन्न कम्पोस्ट/खाद (जैविक): प्रति दिन 60 किलो</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवश्यकता के अनुसार क्षमता बढ़ाना/ नए कम्पोस्ट पिट स्थापित करना</li> <li>2. 100 प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल / जैविक कचरे उपचार किया गया</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवश्यकता के अनुसार पुनर्भरण गड्ढे का निर्माण</li> <li>2. खाद गड्ढों का रखरखाव</li> </ol>
अनुमानित लागत	5 वर्मीकम्पोस्ट और 5 नाडेप कम्पोस्ट पिट की लागत: ₹75,000 <sup>44</sup> कुल लागत: ₹75,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

44 अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें



## स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में स्कूल और सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव
लक्ष्य	2 स्कूल शौचालय और 1 सामुदायिक शौचालय की मरम्मत	मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव
अनुमानित लागत	लागत: ₹2,10,000 कुल लागत: ₹2,10,000		



## एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन: <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)</li> <li>छात्र एवं युवा समूह</li> <li>समुदाय के सदस्य और व्यावसायिक प्रतिष्ठान</li> </ul> </li> <li>साझेदारी मॉडल: अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना" अनुभाग देखें</li> </ol>	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम जारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम जारी है</li> <li>पिछले चरणों की सफलता का उपयोग इस पहल को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों तक बढ़ाने हेतु मॉडल के रूप में किया जा सकता है</li> </ol>



1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
2. प्लास्टिक वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में 100 महिलाओं की भागीदारी

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
2. इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से ज्यादा एसएचजी सहभागिता:
  - » अतिरिक्त 200 महिलाएं
  - » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
2. इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से ज्यादा सहभागिता:
  - » अतिरिक्त 300 महिलाएं
  - » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग- पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) मॉडल संयंत्र, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में CSR का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है

## प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

# 5

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



### संदर्भ और मुद्दे

- बारा ग्राम पंचायत ने 2022-23 में लगभग 2,14,950 यूनिट बिजली की खपत की। जबकि ग्राम पंचायत में लगभग 98% घरों में बिजली कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24x7 नहीं है। औसतन, ग्राम पंचायत को प्रतिदिन ~10 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है।<sup>45</sup>
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत में 7 डीजल जेनरेटर चल रहे हैं जो सालाना लगभग ~18 किलोलीटर ईंधन का उपयोग करते हैं।
- कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और अन्य कम दक्षता वाले इलेक्ट्रिकल फिक्चर और उपकरण उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने 120 सौर स्ट्रीट लाइटों और 17 सौर हाई मास्ट लाइटों की आवश्यकता व्यक्त की है।<sup>46</sup>
- बारा में लगभग 89 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग करते हैं, जबकि 50 घरों में खाना पकाने के लिए कंटे और जलाने वाली लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसलिए, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों में थर्मल आराम का स्तर कम हो रहा है और स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि अन्य के साथ पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए, बारा में क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, टिकाऊ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधारा होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

45. जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया है

46. ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



## सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>पंचायत में स्थित सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाना<sup>47</sup> (पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना</li> <li>सभी नई इमारतों (चरण II के दौरान निर्मित) पर सोलर रूफटॉप की स्थापना</li> <li>सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव</li> </ol>
लक्ष्य	<p>निम्न सरकारी भवनो मे सोलर रूफ टॉप स्थापित किया जाना:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» पंचायत भवन: 67 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp</li> <li>» प्राथमिक विद्यालय: 195 वर्ग मीटर रूफटॉप का क्षेत्रफल; 10 kWp</li> <li>» जूनियर हाई स्कूल: 93 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल; 10 kWp</li> <li>» सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: 167 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल; 10 kWp</li> <li>» उप-स्वास्थ्य केंद्र: 66 वर्गमीटर छत का क्षेत्रफल; 10 kWp</li> <li>» आंगनवाड़ी केंद्र: 29 वर्ग मीटर; 5 kWp</li> </ul> <p>इस चरण में स्थापित कुल सोलर रूफटॉप क्षमता: 55kWp</p> <p>उत्पन्न हुई बिजली: 73,656 kWh प्रति वर्ष (202 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>GHG उत्सर्जन में कमी: 60 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>127 पक्के घरों (40% मौजूदा पक्के घर) की छतों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना<sup>48</sup> सोलर रूफटॉप की स्थापित क्षमता: 3 kWp इस चरण में स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता: 381kWp बिजली उत्पादन क्षमता: 5,10,235 kWh<sup>49</sup> प्रति वर्ष (1,398 यूनिट प्रति दिन) GHG उत्सर्जन में कमी: 418 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष</li> <li>सोलर रूफटॉप का रखरखाव</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>शेष 90 पक्के घरों की छतों सोलर रूफटॉप की स्थापना (मौजूदा पक्के घरों का 100%) इस चरण में स्थापित सौर छत क्षमता: 570 kWp बिजली उत्पादन क्षमता: प्रति वर्ष 7,63,344 किलोवाट<sup>50</sup> (प्रति दिन 2,090 यूनिट) GHG उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष<sup>51</sup>: 625 tCO<sub>2</sub>e</li> <li>सोलर रूफटॉप का रखरखाव</li> </ol>

47 5 PRI भवनों में सौर स्थापना 70% रूफटॉप क्षेत्रफल पर 10 kWh तक सीमित

48 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना जाता है।

49 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से लगभग दोगुना है

50 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से लगभग 3 गुना अधिक है

51 बचाए गए उत्सर्जन से जीपी को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

## अनुमानित लागत

लागत: ₹25,07,500 कुल लागत: ₹25 लाख	लागत: ₹1,90,50,000 सांकेतिक सब्सिडी <sup>52</sup> : ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹1.14 करोड़	लागत: ₹2,85,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹1.71 करोड़
---------------------------------------	--	--

## कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसान समूहों आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक्स जागरूकता बढ़ाने का कार्य।	बागवानी और सब्जियों वाले क्षेत्र में कृषि फोटोवोल्टिक्स की स्थापना	बागवानी और सब्जियों वाले क्षेत्र में कृषि फोटोवोल्टिक्स की स्थापना को बढ़ाना
लक्ष्य	किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक्स पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	2 हेक्टेयर बागवानी पर कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना स्थापित क्षमता: 500 kWp (250 किलोवाट प्रति हेक्टेयर) उत्पन्न बिजली: 6,69,600 kWh <sup>53</sup> प्रति वर्ष; प्रति दिन 1,835 यूनिट GHG उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e	2 हेक्टेयर बागवानी पर कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना स्थापित क्षमता: 500 किलोवाट (250 किलोवाट प्रति हेक्टेयर) उत्पन्न बिजली : प्रति वर्ष 6,69,600 किलोवाट GHG उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO <sub>2</sub> e
अनुमानित लागत		कुल लागत <sup>54</sup> : ₹5 करोड़	कुल लागत: ₹5 करोड़

52 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है, इसलिए अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और वर्तमान समय में सटीक नहीं हो सकती है

53 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से लगभग 3 गुना अधिक है

54 प्रौद्योगिकी के विकासके साथ कृषि PV की लागत कम हो रही है। हालाँकि, इसकी लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान उच्चतर स्तर पर लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों में भी फसल चक्रण अपनाते हैं। इसलिए, बागवानी में उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही एग्रो-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



## सोलर पंप

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े हुए इलेक्ट्रिकल पंप सेट को सोलर पंप का सोलराइजेशन* * यदि सोलर पंप व्यवहार्य नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है	सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना	सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	9 ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पंप सेट का सोलराइजेशन	सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना	सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹27,00,000 - ₹45,00,000 सब्सिडी: ~60% (राज्य + केन्द्रीय सहायता (CFA) प्रभावी लागत: ₹10,80,000 - ₹18,00,000		



## रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस(एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + रसोई गैस(एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस(एलपीजी)	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस(एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + रसोई गैस(एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस(एलपीजी)	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस(एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + रसोई गैस(एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस(एलपीजी)

## लक्ष्य

परिदृश्य 1: 18 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% परिवार जिनके पास मवेशी हैं) + 431 घरेलू रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

परिदृश्य 2: 18 परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 25% परिवार) + 430 रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

परिदृश्य 3: 18 परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 25% परिवार) + 13 परिवार बेहतर चूल्हे का उपयोग करते हैं (50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 418 घरेलू रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

परिदृश्य 1: 18 और परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (संचयी 50% परिवार) + 413 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

परिदृश्य 2: 18 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% परिवार) + 413 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

परिदृश्य 3: 18 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% परिवार) + 13 और परिवार बेहतर चुल्हे का उपयोग (शेष 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 387 घर रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 35 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% परिवार जिनके पास मवेशी हैं) + 378 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

परिदृश्य 2: 36 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 377 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

परिदृश्य 3: 36 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 26 परिवार पहले से ही बेहतर चूल्हे का उपयोग (दूसरे चरण में) + 326 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग

## अनुमानित लागत

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹8,75,000

परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹7,98,750

परिदृश्य 3: ₹8,37,000

औसत कुल लागत: ₹8,36,900

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹8,75,000

परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹7,98,750

परिदृश्य 3: ₹8,37,000

औसत कुल लागत: ₹8,36,900

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹18,75,000

परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹15,97,500

परिदृश्य 3: ₹16,74,000

औसत कुल लागत: ₹16,73,800





## चरण

## सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

## लक्ष्य

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"><li>सभी सरकारी भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना</li><li>ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम एक सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदलना</li><li>ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</li><li>ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>सीएफएल बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ाना</li><li>2 ट्यूब लाइटों के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट से बदलने की योजना</li><li>घरों में 1 पारंपरिक पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंखे लगाना</li><li>ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li></ol>	घरों में पारंपरिक पंखे की जगह ऊर्जा कुशल पंखों का उपयोग बढ़ाना
	<ol style="list-style-type: none"><li>सभी सरकारी भवनों में मौजूदा 100% फिक्चर्स को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना।</li><li>सभी घरों में 448 मौजूदा सीएफएल को एलईडी बल्ब से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li><li>सभी घरों में 448 मौजूदा ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदलना (प्रति घर 1)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>सभी घरों में अतिरिक्त 896 मौजूदा सीएफएल को एलईडी बल्ब से बदलना (प्रत्येक घर में 2)</li><li>सभी घरों में 896 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना (2 प्रति घर)</li><li>सभी (100%) घरों में 448 ऊर्जा कुशल पंखों को बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li></ol>	सभी (100%) घरों में 896 ऊर्जा कुशल पंखों को बदलना (प्रत्येक घर में 2)

## अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>एलईडी बल्ब की लागत: ₹31,360</li> <li>एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹98,560</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹1,29,900</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>एलईडी बल्ब की लागत: ₹62,720</li> <li>एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹1,97,120</li> <li>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹4,97,280</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹7,57,100</p>	<p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹9,94,560</p> <p>कुल लागत: ₹9,94,500</p>
---	--	---



## सोलर स्ट्रीट लाइटें

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना</li> <li>सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जलाशयों के आसपास तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>नई सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> <li>हाई मास्ट सोलर एलईडी लगाना</li> <li>मौजूदा स्ट्रीट लाइट्स का रखरखाव और मरम्मत</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीटलाइटों को सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदला गया</li> <li>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर एलईडी में परिवर्तित किया गया</li> </ol>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट स्थानों पर 60 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना<sup>55</sup></li> <li>17 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>60 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना</li> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकतानुसार नई सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना</li> <li>आवश्यकतानुसार और ज्यादा हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना</li> </ol>
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>60 सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की स्थापना: ₹6,00,000</li> <li>17 हाई मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट: ₹8,50,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹14,50,000</p>	<p>60 सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की स्थापना: ₹6,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹6,00,000</p>	

55 अधिक जानकारी के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण देखें



## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022<sup>56</sup> निम्नलिखित प्रदान करती है:
  - आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई (MNRE) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
  - स्वयं के द्वारा रेस्को<sup>57</sup> मोड में संस्थानों में या यूपीएनईडीए (UPNEDA) के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के माध्यम से MNRE द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
  - 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता (सीएफए) दी जाएगी। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए (सीएफए) केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए (सीएफए) 20 प्रतिशत तक ही होगा।
  - ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए (GHS/RWA)) के लिए सीएफए (सीएफए) आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस (RTS) संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए (GHS/RWA) के लिए सीएफए (सीएफए) के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
  - गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना<sup>58</sup> के अंतर्गत किये किए जा सकते हैं। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सीएफए प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना निम्नलिखित प्रदान करती है:
  - प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
  - प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किश्तों में किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान:
  - घटक C -1 के अंतर्गत: किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
  - घटक C-2 के अंतर्गत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹50 लाख प्रति मेगावाट की वार्डिबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ (VGF)) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन
- ग्राम पंचायतों<sup>59</sup> में LED स्ट्रीट लाइटिंग की योजनाएं:
  - EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक LED बल्बों को मुफ्त बदलता है और रखरखाव करता है।

56 [https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar\\_Pradesh\\_Solar\\_Energy\\_Policy\\_2022.pdf](https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf)

57 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

58 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

59 ईईएसएल (EESL) द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। <https://eeslindia.org/en/oursInp/>

- » अटल ज्योति योजना और MNRE सोलर स्ट्रीटलाइट प्रोग्राम 12 वाट एलईडी और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना<sup>60</sup>:
  - » ₹10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध हैं
  - » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे इन्कन्डेसन्ट बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज सेट-अप के लिए सब्सिडी:
  - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
- कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी के लिए विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है।
  - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चैन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला<sup>61</sup> के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चैन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
  - » SBM-G के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रति जिला ₹50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।<sup>62</sup>
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022<sup>63</sup> गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - » कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर ₹75 लाख प्रति टन से अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
  - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
  - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट।
- MNRE ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अम्ब्रेला के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) कार्यक्रम लागू किया है:
  - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
  - » छोटे बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर/दिन संयंत्र क्षमता) के लिए वित्तीय सहायता संयंत्र के साइज़ के आधार पर रुपये 9800/- रुपये 70,400/- प्रति संयंत्र है।
  - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000m<sup>3</sup>/दिन है<sup>64</sup>।

60 ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ LED बल्ब वितरित करती है (फरवरी 2023), PIB। लिंक

61 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटवाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

62 <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1883926>

63 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

64 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

## वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक्स के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
  - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
  - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी के सदस्यों को " संचालन एवं रखरखाव " का प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना।

## प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

# 6

## सतत और उन्नत गतिशीलता



### संदर्भ और मुद्दे

- बारा में कुल 225 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 200 - दोपहिया, 16 कार, 3 ऑटो-रिक्शा और 6 ट्रैक्टर हैं<sup>65</sup>।
- इसके अलावा ग्राम पंचायत में 4 ई-रिक्शा हैं।
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत ~25 kL डीजल और ~36 kL पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण 157 tCO<sub>2</sub>e उत्सर्जन हुआ है<sup>66</sup>।

इसलिए, परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव शुरू करने की काफी संभावना है।



### मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में मौजूदा डीज़ल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	पंचायत के अंतिम छोर तक आवागमन में सुधार के लिए अधिक ई-ऑटोरिक्शा शुरू करना	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं
लक्ष्य	मौजूदा डीजल ऑटोरिक्शा को बदलने के लिए ग्राम पंचायत के IPT बेड़े में 3 ई-ऑटोरिक्शा जोड़े गए	आवश्यकता होने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे गए	आवश्यकता होने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे गए

65 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

66 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

<p>एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत<sup>67</sup>: लगभग ₹3,00,000</p> <p>&gt; उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 प्रति वाहन</p> <p>&gt; 3 ई-ऑटो रिक्शा की प्रभावी लागत: ₹8,64,000</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी : 7.2 tCO<sub>2</sub>e<sup>68</sup></p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------



## ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टरों को अपनाने को बढ़ावा देना

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
<p>1. डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना</p> <p>2. उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना</p> <p>3. ई-ट्रैक्टर और ई-मालवाहक वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करना (आजीविका अनुभाग में वर्णित)</p>	<p>आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।</p>	<p>आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।</p>	
<p>लक्ष्य</p> <p>कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-मालवाहक का क्रय किया जाना</p>	<p>आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना</p>	<p>आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना</p>	

67 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 से ₹4,00,000 या उससे ज़्यादा होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार और अन्य चीजों पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/सीड कैपिटल/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

68 समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रति वाहन जीएचजी उत्सर्जन में कमी का अनुमान 2.4 tCO<sub>2</sub>e प्रति वाहन लगाया गया है। डीजल ऑटो रिक्शा को ई-ऑटो रिक्शा से बदलने से उत्सर्जन में कमी आएगी और ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल यहां तक कि कार्बन नेगेटिव बनाने में सहायता करेगा।

1. 5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000
2. 5 ई-मालवाहक: ₹25,00,000 – ₹50,00,000
कुल लागत: ₹55 लाख– ₹80 लाख

बाजार दर के अनुसार लागत

बाजार दर के अनुसार लागत

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एमजीएनआरईजीएस की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उसमें सुधार किया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
  - » खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
  - » 1 साल की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन<sup>69</sup> के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत।
- ई-रिक्शों के लिए सब्सिडी का लाभ फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम II) स्कीम के अंतर्गत भी लिया जा सकता है

## वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और ओएसआर
- सीएसआर के समर्थन से बैंकों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण।

## प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

69 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में आवधिक परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसलिए, इस योजना के किसी भी हिस्से में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक हैं, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए



# 7

## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



कृषि और पशुपालन ग्राम पंचायत के मुख्य आधार है और 65% से अधिक परिवार इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दोनों क्षेत्र, विशेष रूप से बदलती जलवायु और पशुपालन में वर्तमान अस्थिर उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण आजीविका संबंधी असुरक्षाओं से भरे हुए हैं। इसलिए, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य साधन गैर-कृषि आधारित और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 100 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, बताई गई गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत के भीतर रोज़गार के अवसर सीमित हैं। इस कार्ययोजना में बताए गए सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



### सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (अगरबत्ती, मोमबत्ती, बैग आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना। )
2. निम्न के लिए क्षमता विकास:
  - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

#### निम्न का प्रारंभिक जुड़ाव:

- » 100 महिलाएं
- » 4 स्वयं सहायता समूह
- » स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना

#### ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- » अतिरिक्त 200 महिलाएं
- » अतिरिक्त एसएचजी, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य





## डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करके आजीविका में सुधार

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), पशुपालन करने वाले परिवारों और किसानों के सदस्यों को सम्मिलित करके दुग्ध सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन
2. डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
3. किसानों/ स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी)/एफपीओके लिए क्षमता विकास
  - » उत्पाद रेंज का विविधीकरण (उत्पादों में पनीर, दही, घी आदि सम्मिलित हैं।)
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

### तत्काल लक्ष्य:

- » 100 महिलाओं और किसानों को जोड़ना
- » ग्राम पंचायत में मौजूद 5 एसएचजी को सम्मिलित करना
- » महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन सत्र आयोजित करना
- » दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन का एकीकरण

### दीर्घकालिक लक्ष्य:

- » बाजार लिंकेज और वितरण नेटवर्क को बढ़ाना
- » निकटवर्ती गांवों/ब्लॉकों को जोड़ते हुए दुग्ध सहकारी/ एफपीओ संचालन का विस्तार

लक्ष्य



## जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच भागीदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों की क्षमता विकास
  - » कंपोस्टिंग और वर्मी-कंपोस्टिंग तकनीक
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

**तत्काल लक्ष्य:** घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: प्रति दिन 60 किलोग्राम; प्रति माह 1,800 किलोग्राम (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

### दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)

लक्ष्य



## ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को व्यवसायिक रूप से किराए पर लेना (किराये के आधार पर) उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिक वाहन नीति 2022 और फेम-इंडिया स्कीम फेज- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करता है।
2. ई-ट्रैक्टरों एवं ई-गुड्स कैरियर्स के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक स्वामियों) को संवेदनशील बनाना

### तत्काल लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
2. 2 या 3 ईवी मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक (मिनी गुड्स ईवी ट्रांसपोर्ट ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

### मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना गया है कि बारा में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता है जिसकी लागत लगभग ₹6 लाख रुपये हैं)

लक्ष्य



## सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

5 से 10 MT क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (सब्जियों और फलों/ और/या दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)

लागत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000

लक्ष्य



## प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

### सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

### लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को **आरोग्य वन** के रूप में स्थापित किया जाना



## विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और जैव-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव

### सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की कौशल योजनाओं से सहायता।

## वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से)।; सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं।
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

## 1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 70,71,72:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

## 2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्युबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

70 [https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium\\_Updated\\_20230922.pdf](https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf)

71 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

72 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय<sup>73</sup> का थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़<sup>74</sup>:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

### 3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र<sup>75</sup>:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

73 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

74 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

75 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

## 4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब<sup>76,77</sup>

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

### निर्मल गुजरात अभियान<sup>78</sup>

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)<sup>79</sup>" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

## 5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर<sup>80</sup>

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

76 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

77 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

78 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

79 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspssc>

80 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

## 6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है<sup>81</sup>।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

## 7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में <sup>82</sup>

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

## 8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

81 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

82 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>



## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना<sup>83</sup>

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

## 9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्प्लिफाइंग लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले<sup>84</sup>

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

## 10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

83 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

84 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)<sup>85</sup>

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

## 11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में<sup>86</sup>

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

85 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

86 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>



# अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प


सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>87</sup>
क. जल निकायों का रखरखाव 	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है</li> </ul>	<b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.1</li> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 6.5</li> </ul>
ख. जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>बेहतर भूजल पुनर्भरण</li> <li>पानी की गुणवत्ता में वृद्धि</li> <li>सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना</li> </ul>	<b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
ग. वर्षा जल के संचयन (RWH) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा</li> </ul>	<b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul>
घ. भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण 		<b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> </ul> <b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> </ul>

## सतत कृषि

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. जलवायु लचीलेपन का निर्माण 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि</li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार</li> </ul>	<b>एसडीजी 2: शून्य भूख</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 2.3</li> <li>लक्ष्य 2.4</li> <li>लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई</li> </ul>
ख. प्राकृतिक खेती अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि जल सुरक्षा में सुधार</li> <li>शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई</li> </ul>	<b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.4</li> <li>लक्ष्य 13.1</li> </ul>
ग. सतत पशुधन प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई</li> </ul>	<b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>

87 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>88</sup>
<p>क. हरित क्षेत्र में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र</li> <li>सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी</li> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.7</li> <li>लक्ष्य 11.4</li> </ul>
<p>ख. नर्सरी की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)</li> <li>पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ग. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> <li>लक्ष्य 15.2</li> <li>लक्ष्य 15.3</li> <li>लक्ष्य 15.5</li> <li>लक्ष्य 15.9</li> </ul>








88 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलजमाव में कमी</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी/ बेहतर स्वच्छता</li> <li>100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण</li> <li>आजीविका और आय सृजन</li> <li>राजस्व और लाभ सृजन</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत आदान</li> <li>अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 3.3</li> <li>लक्ष्य 3.9</li> </ul> <p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 6.3</li> <li>लक्ष्य 6.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 15.1</li> </ul>
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 		
<p>ग. स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाना</p> 		
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		



## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा सुरक्षा</li> <li>उष्ण आराम</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> लक्ष्य 6.4</p>
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है</li> <li>विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.1</li> <li>लक्ष्य 7.2</li> <li>लक्ष्य 7.3</li> <li>लक्ष्य 7.ए</li> <li>लक्ष्य 7.बी</li> </ul>
<p>ग. सोलर पंप</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ</li> <li>घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul>
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है</li> <li>आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p> 		



## सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 7.2</li> </ul> <p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 11.2</li> </ul>
<p>ख. ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टरों को अपनाने को बढ़ावा देना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> <li>जलजमाव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 9.1</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>    



## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>89</sup>
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत आदान</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 5.5</li> </ul>
<p>ख. डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करके आजीविका में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul>
<p>ग. जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul>
<p>घ. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>ङ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	
<p>च. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>छ. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और जैव-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव</p> 		



89 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

**क्रि** यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से बारा के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। बारा के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर बारा को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, बारा जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और क्रियान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही बारा को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

## अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

### पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया<sup>90</sup>। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

बारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना<sup>91</sup> का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

### कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया

90 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

91 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाउड स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह किया गया।
  - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
  - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
  - » बारा ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
  - » प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
  - » जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
  - » ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
  - » ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

# अनुलग्नक II: प्रश्नावली



## उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत: बारा

विकास खण्ड: कौशाम्बी

जनपद: कौशाम्बी

### I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत— समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	2
2	टोलों की संख्या	0
3	a कुल जनसंख्या	2637
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	1384
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	1253
	d विकलांगजन की जनसंख्या	16
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	583
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	154
4	कुल परिवार की संख्या	412
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	50
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	134.6160 Hec
6 a	साक्षरता दर	64%
7 a	पक्का घरों की संख्या	310
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	72 (मिट्टी की दीवाल, खपरैल)





## II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	375	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	15	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ी मजदूर	106	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	85	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	23	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	25	
	कुटीर उद्योग	0	
	कृषि	337	
	कला/हस्तकला	0	
	पशुपालन	70	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	24	
	व्यवसाय/उद्यम	6	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	48	
	अन्य	85	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	103 घर	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव		
	निकट के शहर		
	राज्य के प्रमुख शहर		
	देश के प्रमुख महानगर	103 घर	आजीविका अर्जन हेतु
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	पिछले पांच वर्षों में	Nil	





	आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	
--	--	--

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	37
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	65
	किराएकी भूमि/हुण्डा	06
	अनुबंध खेती	0
	दिहाड़ी मजदूर	94
	अन्य व्यवस्था	45
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	0
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	7
	कुटीर उद्योग	0
	कृषि	334
	कला/हस्तकला	0
	पशुपालन	30
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	4
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	0
	अन्य	0







12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	एकता आजीविका स्वयं सहायता समूह	10	भैंस पालन	12000	जुड़ाव
2	शीतला आजीविका स्वयं सहायता समूह	10	भैंस पालन	6000	जुड़ाव
3	तुलसी आजीविका स्वयं स्वयं सहायता समूह	10	भैंस पालन	12000	जुड़ाव
4	खुशी आजीविका स्वयं सहायता समूह	10	बकरी पालन + भैंस पालन	6000	जुड़ाव
5	रोशनी आजीविका स्वयं स्वयं सहायता समूह	10	Nil	6000	जुड़ाव
6	चाँदनी आजीविका स्वयं स्वयं सहायता समूह	10	Nil	6000	जुड़ाव
7	शिव भोले आजीविका स्वयं स्वयं सहायता समूह	10	Nil	6000	जुड़ाव
8	कृष्णा आजीविका स्वयं स्वयं सहायता समूह	10	Nil	6000	जुड़ाव
9	माँ संतोषी आजीविका स्वयं स्वयं सहायता समूह	10	Nil	6000	जुड़ाव

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र
	Nil	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

14 अन्य समुदाय आधारितसंगठन/						
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/बचत	उत्पाद/सेवा	विपणन/लक्षित उपभोगकर्ता





		संगठन/समिति हैं?				
	Nil	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15 योजनाएं						
a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ/कार्य
	मनरेगा	366	106	-		
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/एन.एफ.एस.ए.	427	427	-	-	-
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	205	205			
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	-	-	-	-	-
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	-	-	-	-	-
b	अन्य योजनाएं					
	ग्राम उज्जवला योजना	-	-	-	-	-
	ऊर्जा दक्षता योजना	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री आवास योजना	62	44	-	-	-
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीओडीएस)	427	427	-	-	-
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-	-	-	-





	उत्तर प्रदेश कौषल विकास मिशन	-	-	-	-	-
	राष्ट्रीय कौषल विकास योजना (RKVY)	6	6	-	-	-
	मौसम आधारित फसल बीमा	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	-	-	-	-	-
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	-	-	-	-	-
	किसान क्रेडिट कार्ड	295	295	-	-	-
	स्वच्छ भारत मिशन	477	477	-	-	-
	सौर सिंचाई पम्प योजना	-	-	-	-	-
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	-	-	-	-	-
	गोवर्धन योजना	-	-	-	-	-
	जल पुनर्भरण योजना	-	-	-	-	-
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	-	-	-	-	-
	समन्वित वाटरषेड विकास कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	अन्य वाटरषेड विकास योजनाएं	-	-	-	-	-
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	-	-	-	-	-
	उद्यमिता सहायता योजनाएं आदि	-	-	-	-	-

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	1848
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	513





8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केन्द्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
1	कोसम इमाम	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	4 Km
2	नरेन्द्र बारा	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	निष्क्रिय है	-	-	1 Km
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/ स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आउट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिक विद्यालय					
	बारा	1500 sq. fit	102	0	Nil	
	नरेन्द्र बारा	2000 sq. fit	104	0	Nil	
b	जू0 हाई स्कूल					
	बारा	1500 sq. fit	117	0	Nil	
	नरेन्द्र बारा	2000 sq. fit	55	0	Nil	



c	हाई स्कूल				
	Nil	-	-	-	-
d	अन्य संस्थान				
	Nil	-	-	-	-

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil	-	-	-	-

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	SS-94	1-राज्य मार्ग	0 Km	खराब (2)
	NH-19	2-राष्ट्रीय राज मार्ग	40 Km	अच्छा (1)





### III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	Nil
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	-
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	-
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	-
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	-
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	-

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	5.724 हेक्टेयर		
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	3.489 हेक्टेयर		
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	Nil		
	अतिरिक्त सूचनाएं	नवीन परती, बंजर ऊसर श्रेणी की ग्राम सभा की जमीन है।		

24	जल निकाय क्षेत्र		
	विवरण	हां	नहीं
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	8	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	10 वर्ष से अधिक समय से	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हाँ (बस्ती के बीच में स्थित दो तालाब के किनारे कुछ अतिक्रमण है)	





25	जल आपूर्ति	
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब/ झील-(4) अन्य- (5)	भूमिगत जल (3)
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी है
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	हैण्डपम्प (5)
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	Nil
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	Nil
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	Nil
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल - (नलकूप (3A), कूआ (3B))	भूमिगत जल (नलकूप (3A))







	तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	मौसमी है
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	सन्तोषजनक है
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	घरेलू एवं कृषि उपयोग के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। गर्मियों के मौसम में जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। वर्षा कम होने के कारण घरेलू उपयोग एवं कृषि सिंचाई के लिए भूजल का दोहन बढ़ रहा है जिससे भूजल की उपलब्धता घटी है।





#### IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
<b>26</b>				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		√□	□	□
c	दिनों की संख्या	45 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	किसी-किसी वर्ष ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी सीजन के प्रारम्भिक माह में ही तापमान में ज्यादा वृद्धि होना।		
<b>27</b>				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	√□	□
c	दिनों की संख्या	45 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	किसी-किसी वर्ष ज्यादा ठण्ड पड़ती है। जाड़े के मौसम में भी ठण्ड का अचानक बढ़ना और कम होना। जनवरी में 10 से 15 दिन अधिक ठण्ड रहती है।		
<b>28</b>				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	√□	□
c	दिनों की संख्या	60 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	मानसून का अनियमित/समय से नहीं आना और अपर्याप्त वर्षा। किसी वर्ष मानसून जल्दी आना परन्तु वर्षा ऋतु के अंतिम माह (अग./सित.) में कुछ दिन ज्यादा वर्षा होना।		
<b>29</b>				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	√□	□
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		√□	□	□
c	दिनों की संख्या	7 दिन		
d	षरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		□	√□	□





e	दिनों की संख्या	10 दिन				
f	अन्य सूचनाएं/जानकारी					
<b>चरम मौसम की घटनाएं</b>						
<b>30 सूखा</b>						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
<b>31 बाढ़</b>						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
<b>32 भूस्खलन</b>						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		





e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
<b>33 ओलावृष्टि</b>						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>34 फसलों के कीट/बीमारी</b>						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में टिड्डी, कीट/बीमारी को देखा गया?	Jul/Aug, Oct, Feb	Jul/Aug, Oct, Feb	Jul/Aug, Oct, Feb	Jul/Aug, Oct, Feb	Jul/Aug, Oct, Feb
c	किस प्रकार के टिड्डी, कीट/बीमारी को देखा गया?	माहो, थ्रिप्स, फलीछेदक, खैरा, झुलसा, गंधी, एवं फुदका				
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	सरकारी सहायता: बीज शोधन हेतु दवा निजी सहायता: बाज़ार में उपलब्ध कीटनाशक उत्पाद का प्रयोग				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	-	-	-	-	-

<b>35</b>	<b>ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी</b>	ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>






आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>36</b>	<b>अनाज भण्डारण</b>	
<b>a</b>	<b>ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?</b>	
	अनाज (विवरण दें)	N.A.
	तेल	N.A.
	चीनी	N.A.
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	N.A.
<b>b</b>	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	शीत गृह नहीं है।

<b>37</b>	<b>ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत</b>	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	√
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	√
	मोबाईल फोन/एप	√
	मौखिक	√
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	-
	पशुपालन विभाग	-
	उद्यान विभाग	-
	अन्य	-

<b>कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)</b>						
<b>38</b>	<b>फसल हानि</b>					
<b>a</b>	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, टण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)





	प्रथम वर्ष (2022)	Nil	-	-	-	-
	द्वितीय वर्ष (2021)	Nil	-	-	-	-
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil	-	-	-	-
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil	-	-	-	-
	पंचवां वर्ष (2018)	Nil	-	-	-	-
<b>b</b>	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी- बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	फसल बीमा क्लेम की समुचित जानकारी नहीं।				





39 फसल पद्धति में बदलाव						
	a	सामान्य फसल	खरीफ धान, बाजरा, अरहर	रबी गेहूँ, आलू, सरसों, मटर, चना	जायद/अन्य ऋतु जायद की फसल नहीं बोयी जाती	
	b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
अ		धान	जून/जुलाई	हाँ	जुलाई/अगस्त	वर्षा की देरी के कारण, कुछ फसल प्रजाति में अंतर होना
		बाजरा	जुलाई/अगस्त	नहीं	जुलाई/अगस्त	-
		अरहर	जुलाई/अगस्त	नहीं	जुलाई/अगस्त	-
		गेहूँ	नवंबर	हाँ	नवंबर/दिसंबर	फसल प्रजाति में अंतर, आलू बुवाई, मौसम/नमी कम होना
		सरसों	सितम्बर/ अक्टूबर	नहीं	सितम्बर/अक्टूबर	-
		मटर	अक्टूबर/नवंबर	नहीं	अक्टूबर/नवंबर	-
		चना	अक्टूबर/नवंबर	नहीं	अक्टूबर/नवंबर	-
	c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/ प्रजाति आदि उल्लेख करें)	आवारा पशुओं के प्रकोप के कारण चना, मटर व दलहनी फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है।			

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन						
	a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया/एकड़)







	धान, बाजरा	वर्षा, नलकूप द्वारा	नलकूप से औसतन 600/- से 700/- प्रति एकड़ सिंचाई दर	वर्षा, नलकूप द्वारा	नलकूप से औसतन 350/- से 450/- प्रति एकड़	
	गेहूँ, सरसों	वर्षा, नलकूप	नलकूप से औसतन 600/- से 700/- प्रति एकड़ सिंचाई दर	वर्षा, नलकूप द्वारा	नलकूप से औसतन 350/- से 450/- प्रति एकड़	
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		0	09	01	-	
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	तककरीबन 15 वर्ष पूर्व नहर द्वारा सिंचाई होती थी। अब नहर में पानी टेल तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि नियमित साफ-सफाई नहीं होती है। नहर से खेत तक पहुँचने के लिए निर्मित चौड़ी नालियाँ/रजबहा भर गयी हैं या सड़क/संपर्क मार्ग निर्माण में दब गयी हैं। इस कारण प्राइवेट नलकूप/पंपिंग सेट द्वारा फसलों की सिंचाई करना पड़ता है।				
<b>41 पशु पालन/पशुधन</b>						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		डेयरी (1) अन्य (6)-(बकरी पालन)			
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil	-	-	-	-
	द्वितीय वर्ष(2021)	Nil	-	-	-	-
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil	-	-	-	-
	चतुर्थ वर्ष(2019)	Nil	-	-	-	-
	पंचम वर्ष(2018))	Nil	-	-	-	-
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	ज़्यादातर गाय/भैंस का पालन निजी रूप में दूध के उपयोग के लिए होता है। कुछ				





		हिस्सा दूध बेचते हैं। देसी नस्ल की बकरी पाली जाती है जो व्यावसायिक दृष्टि से कम लाभकारी है।				
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil	-	-	-	-
	द्वितीय वर्ष(2021)	Nil	-	-	-	-
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil	-	-	-	-
	चतुर्थ वर्ष(2019)	Nil	-	-	-	-
	पंचम वर्ष(2018))	Nil	-	-	-	-
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	Nil	-	-	-	-
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से है)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil	-	-	-	-
	द्वितीय वर्ष(2021)	Nil	-	-	-	-
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil	-	-	-	-
	चतुर्थ वर्ष(2019)	Nil	-	-	-	-
	पंचम वर्ष(2018)	Nil	-	-	-	-
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	Nil	-	-	-	-





## V. कृषि व पशुपालन

42	a	प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी							खरपतवारनाशी			
		उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग							
	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/ मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवारनाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
	अनाज (धान)	खरीफ	-	यूरिया	80 किग्रा0 प्रति एकड़	परिवर्तन नहीं है (3)	<b>दानेदार-</b> कारटापहाइड्रोक्लो राइड <b>पाउडर-</b> फेनवेलरेट <b>लिक्विड-</b> क्लोरोपाइरीफास इमिडाक्लोप्रिड प्रेटिलक्लोर सल्फोसल्फरान	0.4%DP 20% EC 17.8%SL 50% EC 75% WG	परिवर्तन नहीं है (3)	-	-	-
	अनाज (गेहूँ)	रबी	-	डीएपी	50 किग्रा0 प्रति एकड़	परिवर्तन नहीं है (3)	उपरोक्त में से	-	परिवर्तन नहीं है (3)	-	-	-
	तिलहन (सरसों)	रबी	-	यूरिया डीएपी	30 किग्रा0 प्रति एकड़ 30 किग्रा0 प्रति एकड़	परिवर्तन नहीं है (3)	उपरोक्त में से	-	परिवर्तन नहीं है (3)	-	-	-



	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/ जागरूक हैं?
				नहीं	Nil	हाँ	-	डिकम्पोजर का प्रयोग बढ़ा है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों में गेहूँ काटने की मशीन के पीछे भूसा बनाने वाला यंत्र भी लगा होता है। जिससे पुवाल का चारा बनाया जाता है। आमतौर पर पराली अवशेष नहीं जलाया जाता है।



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां				
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु0/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित
Nil	-	-	-	-

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)			
फसल	स्थायी गतिविधियां ( शून्य जुताई, मल्लिचंग, फसल चक्र, अन्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि )	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रुपया)
Nil	-	-	-



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां											
पोध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)- उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/असर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)- उल्लेख करें	
सार्वजनिक	1.25 हेक्टेयर (अनुमानित)	तालाब किनारे	मनरेगा (4)	मिश्रित प्रजाति	सागौन, महुआ, शीशम अमरूद, आम, नींबू, (45% फलदार वृक्ष) 55% अन्य प्रजाति	5 जून/ जुलाई महीने तक	20%	मनरेगा के तहत वृक्षारोपण गतिविधि के लाभ तक पहुँच	कोई परिवर्तन नहीं (3)	Nil	



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिमाह) (रु०)	
गाय (देशी नस्ल)	165	पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार (खुले में चराई में कमी)	2400/-	
गाय (संकर नस्ल)	40	पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार (खुले में चराई नहीं)	4800/-	
भैंस (देशी नस्ल)	361	पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार (खुले में चराई में कमी)	4500/-	
भैंस (संकर नस्ल)	0	-	-	
बकरी	156	हरा चारा (खुले में चराई नहीं)	1000/-	
सुअर	15	-	600/-	
मुर्गी	260	आहार/मुर्गी दाना (खुले में चराई में नहीं कमी)	150/-	
मत्स्य	0	-	-	
अन्य	0	-	-	

## VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पियजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nil
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	1-1.5 kg प्लास्टिक की थैली, खाली पैकेट, खराब वस्तुएँ, बचा खाना/सब्जी या अन्य खाद्य पदार्थ					
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	कचरा एकट्ठा नहीं किया जाता।					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			Nil
		हां	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति		Nil	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचकमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	खाली स्थान पर फेंकते हैं

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 477 परिवार
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> प्रमुख स्थान .....
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ	
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का	Nil	





	अभाव, बहुत दूर आदि)					
<b>50</b>	<b>अपशिष्ट जल</b>	<b>घरेलू</b>	<b>व्यवसायिक</b>	<b>औद्योगिक</b>	<b>कृषि गतिविधियां</b>	<b>गंदा नाला</b>
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	-	-	-	-	-
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	-	-	-	-	-
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई हैं तो-	-	-	-	-	-

<b>51</b>	<b>स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा</b>			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.843 हेक्टेयर
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1200 वर्ग फीट
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600 वर्ग फीट
e	आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

<b>52</b>	<b>रोग/बीमारी</b>								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	58	18	40	-	CHC, बारा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाईड/हैपेटाइटिस आदि)	45	13	32	-	CHC, बारा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
c	श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	11	0	11	-	CHC, बारा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-





d	कुपोषण	31	05	26	-	CHC, बारा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
---	--------	----	----	----	---	--------------	-------------------------------------	--------------------------	---

## VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	209
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	02
	एयर कुलर	70
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	40

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	10 घण्टे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	N.A.

55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	0
	सौर उर्जा	05
	इमरजेंसी लाईट	110
	इन्वर्टर	10
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	0





57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत		
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	02	200 वाट
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	0	0
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	1	2.5 kw
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	1	200 वाट
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	0	-
	सौर स्ट्रीट लाईट	6	45 वाट प्रत्येक
	बायोगैस	0	-
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	0	-
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	जानकारी नहीं है	-

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	60	150 किग्रा/महीना
	बायोगैस	-	-
	एलपीजी गैस	352	14.6 किग्रा/महीना
	विद्युत	-	-
	सौर उर्जा	-	-
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	-	-





59 वाहन की संख्या				
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	-	-	-
b	कार	24	पेट्रोल/डीजल	30 से 40 किमी
c	दो पहिया वाहन	200	पेट्रोल	20 से 25 किमी
d	विद्युत चालित वाहन	-	-	-
e	आटो	3	पेट्रोल/डीजल	80 किमी
f	ई-रिक्शा	3	बैटरी चालित	50 किमी
g	अन्य	12	पेट्रोल/डीजल	-

कृषि यंत्र				
	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	6	डीजल	25 से 30 किमी (कृषि सीजन में)
b	कम्बाईन हारवेस्टर	-	-	-
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-	-

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)											
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b											





62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	Nil	-	-	



## अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत  
विकास योजना  
ग्राम पंचायत- बारा




### बारा ग्राम पंचायत की रूपरेखा (प्रोफ़ाइल):

बारा ग्राम पंचायत भारत के उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जनपद अंतर्गत कौशाम्बी ब्लॉक में स्थित है। बारा पंचायत मंझनपुर तहसील के अंतर्गत आता है तथा तहसील से इसकी दूरी लगभग 27 किमी० एवं जनपद हेडक्वार्टर से दूरी तकरीबन 27 किलोमीटर है। कौशाम्बी ब्लॉक ऑफिस बारा ग्राम पंचायत के निकट ही स्थित है। यह इस पंचायत के नरेन्द्र बारा गाँव सीमा में ही स्थित है। बारा ग्राम पंचायत में कुल 2 राजस्व गाँव हैं- (i) बारा एवं (ii) नरेन्द्र बारा। एक राजस्व गाँव दूसरे गाँव से निकट लगभग 400 मीटर दूरी पर स्थित हैं।

यहाँ सराय अकिल बाज़ार है जो इस पंचायत से लगभग 8 किमी० दूर है। स्थानीय लोगों के लिये यह एक बड़ा बाज़ार है। प्राप्त जानकारी के आधार पर इस पंचायत की कुल जनसंख्या 2637 है जिसमें 1384 पुरुष एवं 1253 महिलाएं हैं। पंचायत के दोनों राजस्व गांवों को मिलाकर कुल 412 परिवार हैं। यहाँ की साक्षरता दर 64% है। कौशाम्बी में बौद्ध स्थली पर्यटक स्थान भी है जो यहाँ से लगभग 5 किमी दूर है।

उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला दोआब क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। इस प्रकार यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की फसल ऋतु अनुसार उगाई जाती है। स्थानीय लोगों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत सम्बन्धी मूलभूत आँकड़ा निम्नवत है:



### क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया:

#### वातावरण निर्माण:

आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ग्राम पंचायत बारा की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में समग्र ग्राम पंचायत के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार यादव द्वारा पंचायत के दोनों गांवों में पंचायत प्रतिनिधियों/वार्ड सदस्यों, वरिष्ठजनों, समूह सखी, आशा बहुओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा पंचायत स्तर पर कार्यरत सरकारी स्टाफ इत्यादि के माध्यम से पंचायत भवन, बारा पर नियोजित खुली बैठक में निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार प्रतिभाग करने हेतु सूचना कराई गयी थी जिससे सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।



### ग्राम सभा की खुली बैठक:

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना निर्माण हेतु दिनांक 16-02-2023 को ग्राम पंचायत-बारा, ब्लॉक व जनपद-कौशाम्बी में ग्राम्या संस्थान टीम द्वारा सहभागितापूर्ण योजना निर्माण हेतु पंचायत भवन, बारा में एक प्लानिंग मीटिंग की गयी। उक्त मीटिंग का आयोजन निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर हुई जिसके लिए प्रधान को बैठक के पूर्व सूचना दी गयी थी। तदनुसार प्रधान द्वारा पंचायत के दोनों राजस्व गांव के लोगों, पंचायत सदस्यों, हितभागियों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु सूचित किया गया था। इस बैठक में प्रधान, पूर्व प्रधान पंचायत सचिव, लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा, कृषि विभाग स्टाफ, सफाईकर्मी, स्वयं सहायता समूह सदस्य, समूह सखी सहित दोनों गांवों (बारा व नरेन्द्र बारा) के महिला एवं पुरुषों की सक्रिय सहभागिता रही। बैठक की अध्यक्षता प्रधान ने की।

प्रतिभागियों से चर्चा प्रारम्भ करते हुये गाँव की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया गया। इस क्रम में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन हेतु तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। बैठक में महिलाओं से संबन्धित मुद्दों के बारे में भी बातचीत की गई। इस क्रम में यह बताया गया कि उनको खेतिहर मजदूरी के अलावा अन्य कोई रोजगार नहीं उपलब्ध है। SHG सदस्यों से बातचीत में निकलकर आया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से अनुदान तो प्राप्त हुआ है परंतु कुछ समूहों में ही कुछ सदस्यों ने स्वतः रोजगार जैसे-छोटी दुकान, कृषि कार्य अथवा पशुपालन के लिए ऋण लिया है। गरीब लोगों द्वारा आवास प्राप्त नहीं होने का मुद्दा उठाया जिस पर प्रधान जी द्वारा स्थिति/आंकड़े की जानकारी दी गयी।



### ग्राम पंचायत समितियों का विवरण:

नियोजन एवं विकास समिति	शिक्षा समिति
अजय यादव (सभापति)-प्रधान	अजय यादव-(सभापति)-प्रधान
प्रतिभा देवी-सदस्य	कैलशिया-सदस्य
सरिता देवी-सदस्य	हनुमान-सदस्य
आशीष पाल-सदस्य	कमलेश-सदस्य
कमलेश-सदस्य	आशीष-सदस्य
हनुमान-सदस्य	सरिता देवी-सदस्य
महंत लाल-सदस्य	प्रतिभा देवी-सदस्य

<b>निर्माण कार्य समिति</b> आशीष पाल-सभापति प्रतिभा देवी-सदस्य शकुंतला-सदस्य सरिता देवी-सदस्य कमलेश-सदस्य हनुमान-सदस्य कैलशिया-सदस्य	<b>स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति</b> प्रतिभा देवी-सभापति आशीष पाल-सदस्य कमलेश-सदस्य महंत लाल-सदस्य सरिता देवी-सदस्य कैलशिया-सदस्य हनुमान-सदस्य
<b>प्रशासनिक समिति</b> अजय यादव (सभापति)-प्रधान सरिता देवी-सदस्य हनुमान-सदस्य आशीष पाल-सदस्य कमलेश-सदस्य कैलशिया-सदस्य शकुंतला-सदस्य	<b>जल प्रबंधन समिति</b> सरिता देवी-सभापति आशीष पाल-सदस्य कमलेश-सदस्य प्रतिभा देवी-सदस्य हनुमान-सदस्य शकुंतला-सदस्य सरिता देवी-सदस्य

### वार्ड सदस्यों की सूची

वार्ड संख्या	ग्राम पंचायत सदस्य का नाम
01	प्रतिभा देवी
03	सरिता देवी
04	आशीष पाल
05	कमलेश
07	कैलशिया
08	शकुंतला
09	हनुमान
11	महंत लाल
02	सदस्य पद रिक्त है
06	सदस्य पद रिक्त है
10	सदस्य पद रिक्त है

### बारा पंचायत सम्बन्धी मूलभूत विवरण:

#	विवरण	संख्या (लोग के समुदाय-स्रोत का सूचना)	
1	राजस्व गाँव की संख्या	02	
2	टोलों की संख्या	0	
3	a	कुल जनसंख्या	2637
	b	कुल पुरुषों की जनसंख्या	1384
	c	कुल महिलाओं की जनसंख्या	1253
	d	विकलांगजन की संख्या	16
	e	कुल बच्चों की संख्या	583

	f	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु)	154
4		कुल परिवार संख्या	412
	a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	50
5		कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	134.6160 हेक्टेयर
6	a	साक्षरता दर	64%
7	a	पक्का घरों की संख्या	310
	b	कच्चा घरों की संख्या गयी की उपयोग से रूप मुख्य) (करें उल्लेख का सामग्री	72 (मिट्टी की दीवाल, खपरैल, सरपट)

### ट्रांजेक्ट वाँक/गाँव का भ्रमण:

गाँव की वस्तुस्थिति/भौगोलिक को समझने, स्थानीय निवासियों, जातिवार परिवारों के रहन-सहन की स्थिति, अवस्थापना की सुविधाओं को जानने, संसाधनों की मैपिंग एवं प्रमुख समस्याओं की पहचान करने के लिए टीम सदस्यों ने स्थानीय हितभागियों के साथ मिलकर ट्रांजेक्ट वाक किया। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम बारा गाँव का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान पाया गया कि गाँव के अंदर विभिन्न बस्तियों में जाने के लिए पक्के/आर.सी.सी. रोड निर्मित है जिससे वर्षा इत्यादि के समय में भी आवागमन सुचारु रूप से किया जा सकता है। यह गाँव स्टेट हाइवे/मुख्य सड़क से लगा हुआ है और आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।

नरेन्द्र बारा गाँव भी बारा गाँव की भांति ही स्टेट हाइवे/मुख्य सड़क से लगा हुआ है। यह ब्लॉक ऑफिस के बिल्कुल निकट लगभग 300 मी० दूरी पर है बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लॉक ऑफिस-कौशाम्बी इस गाँव में ही स्थित है। भूलेख के अनुसार यह पूरा गाँव ग्राम सभा की ऊसर भूमि पर बसा हुआ है। आज से तकरीबन 50 वर्ष से अधिक समय से यहाँ विभिन्न जातियों के परिवारों के मकान बने हुये हैं। ऊसर/बंजर जमीन केवल सरकारी दस्तावेज़ में ही दर्ज है और वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है।

बारा पंचायत में अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 51% परिवार एवं अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के लगभग 46% परिवार हैं। सामान्य जाति वर्ग वाले परिवार बहुत कम, लगभग 3% हैं।

### गाँव में ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण) के दौरान किए गए आकलन का विवरण:

<b>गाँव की बसाहट (घरों की संरचना)</b>	ग्राम पंचायत के दोनों गांवों में अब 75% से अधिक पक्के घर बने हुये हैं। पहले के बने हुये कच्चे घरों में अभी कुछ परिवार रहते हैं। ज्यादातर कच्चे घरों की छत/खपरैल और दीवालें या तो गिर गयी हैं या कच्चे घर जर्जर होने के कारण अब लोगों के रहने के लायक सुरक्षित नहीं है। टूटे-फूटे कच्चे घरों के स्थान पर अब पशु जैसे-गाय, भैंस, बकरी इत्यादि को बांधा जाता है। कहीं-कहीं गोबर से उपले बनाने तथा ईंधन के रूप में रखने के काम आता है।
<b>तालाब व गड्डे</b>	इस पंचायत में कुल तालाबों की संख्या 8 है। बारा गाँव कुल 06 तालाब हैं जिसमें से 02 तालाबों पर अतिक्रमण है। नरेन्द्र बारा गाँव में 02 तालाब हैं जिसमें से 1 तालाब पर अतिक्रमण है। गाँव भ्रमण के दौरान यह देखा गया कि जो तालाब गाँव की बस्तियों के बीच में स्थित हैं वहाँ पर कुछ हद तक अतिक्रमण है। तालाब के किनारे बसे घरों द्वारा कूड़ा भी फेंका जाता है। साथ ही मिट्टी इत्यादि डालकर घर के सामने/पीछे जगह बनाकर निजी उपयोग में भी लिया जाता है। जो तालाब बस्तियों से हटकर हैं वहाँ अतिक्रमण नहीं है। (प्रत्येक तालाब का क्षेत्रफल कार्ययोजना में दिया गया है)
<b>नदी-नहर व नाला</b>	पंचायत से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ससुर खदेरी नामक स्थानीय नदी है। इस नदी में केवल वर्षा ऋतु में ही जल होता है एवं गर्मियों के मौसम में जल सूख जाता है। यह एक मौसमी नदी है। पंचायत से अत्यंत दूर होने से नदी में वर्षा ऋतु में जल प्रवाह अधिक होने के बावजूद बाढ़ इत्यादि की संभावना नहीं रहती है।



	<p>बारा पंचायत से तकरीबन 1 km दूर कनैली नहर है जिससे सम्बद्ध बारा माइनर तकरीबन 500 मीटर दूर है। विगत लगभग 10 वर्षों से नहर का पानी पंचायत तक नहीं पहुँच पाता था। पिछले वर्ष 2022 में कुछ समय के लिए नहर का पानी मिल पाया था जो नहर किनारे वाले 08 से 10 बीघा सिंचाई के लिए ही उपलब्ध हो सका। इस प्रकार नहर द्वारा पर्याप्त पानी नहीं मिल पाने एवं समय से नहीं मिल पाने की समस्या पायी गयी।</p> <p>मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर नाला निर्मित है। समुचित साफ-सफाई न होने एवं अधिक वर्षा होने की स्थिति में मुख्य सड़क तथा इसके आस-पास घरों में जल जमाव की स्थिति रहती है।</p>
<b>वन व हरित क्षेत्र</b>	गाँव भ्रमण के दौरान 04 बाग-बगीचे पाये गये। मुख्यतः यह व्यक्तिगत स्वामित्व वाले बाग हैं जिसमें एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों का साझा है। यहाँ वन विभाग का क्षेत्र नहीं है। मनरेगा योजना अंतर्गत सार्वजनिक तालाबों के आस-पास वृक्षारोपण कराया जाता है। इसमें छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं।
<b>समतल व निचली सतह भूमि</b>	यह समतल भूमि वाला क्षेत्र है। कुछ गट्टेनुमा जगह को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्र समतल है और यहाँ कृषि कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाता है। खरीफ में मुख्यतः धान की फसल एवं रबी में मुख्यतः गेहूँ की फसल उगाई जाती है। आवारा पशुओं के प्रकोप एवं इससे होने वाले नुकसान के कारण दलहनी फसल कम मात्रा में बोयी जाती है। इसके साथ ही अनिश्चित मानसून व खेत की सिंचाई की समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण भी दलहनी फसलों का उत्पादन कम होता है।
<b>सिंचाई</b>	सिंचाई के लिए अब वर्षाजल के बजाय स्थानीय समुदाय के लोग/किसान ज्यादातर पंपिंग सेट/ट्यूबवेल पर निर्भर हो गए हैं। विद्युत आधारित सिंचाई पम्पसेटों की संख्या 09 है तथा सोलर पम्प 01 है। तकरीबन 15 वर्ष पूर्व नहर द्वारा सिंचाई होती थी। अब नहर में पानी टेल तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि इसकी नियमित साफ-सफाई नहीं होती है। इसके अतिरिक्त नहर से खेतों तक पहुँचने के लिए निर्मित चौड़ी नालियाँ/रजबहा भर गयी हैं या सड़क/सम्पर्क मार्ग निर्माण में दब गयी हैं जिससे नहर का पानी अब नहीं मिल पाता है।
<b>ऊर्जा प्रयोग</b>	ग्राम पंचायत के दोनों गांवों में विद्युत आपूर्ति है। कुल 209 परिवारों में विद्युत कनेक्शन है। घरेलू उपयोग में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे-टीवी, फ्रिज, कूलर, लाइट, पंखे इत्यादि के साथ ही सिंचाई के लिए पंपिंग सेट चलाने में विद्युत का उपयोग होता है। कुल 05 घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत कटौती दिन में कई बार होती है। औसतन दिन में 10 घण्टे विद्युत कटौती होती है। सौर स्ट्रीट लाइट की संख्या 06 है।
<b>ईंधन प्रयोग</b>	खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग 352 परिवार करते हैं और 60 परिवार पारंपरिक जालौनी जैसे लकड़ी व गोबर के उपले का उपयोग करते हैं। पंचायत में वाहनों के लिए पेट्रोल का उपयोग मुख्यतः 200 मोटरसाइकिल व 24 कार द्वारा, डीजल का उपयोग 03 ऑटो, 06 ट्रैक्टर व 12 अन्य वाहन (जैसे-पिकअप, माल हुलाई के लिए ऑटो इत्यादि) द्वारा तथा बैटरी का उपयोग 03 ई-रिक्शा द्वारा किया जाता है।
<b>घरेलू उपयोग के लिए जल स्रोत</b>	पंचायत में ज्यादातर (90 से 95% परिवारों) में हैंडपम्प द्वारा तथा लगभग 10% परिवारों में सबमर्सिबल पम्प व हैंडपम्प के द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पानी उपलब्ध होता है। बारा गाँव में 21 हैंडपम्प एवं नरेंद्र बारा में 06 हैंडपम्प (इंडिया मार्का 2) चालू हालत में हैं। दोनों ही गाँवों में 5-5 हैंडपम्प निष्क्रिय हैं जिसमें मरम्मत की जरूरत है।

<p><b>जाति वर्ग अनुसार परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति</b></p>	<p>गांवों में विभिन्न प्रकार की जातियों के घर हैं। बारा एवं नरेन्द्र बारा गाँव को मिलाकर अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 210 परिवार हैं एवं अन्य पिछड़ा (OBC) वर्ग के लोगों के 190 परिवार हैं। अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग इस पंचायत में नहीं है। सामान्य (General) वर्ग के लोगों की संख्या काफी कम है और इनके कुल 10 परिवार हैं।</p>
<p><b>उद्यम/व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी</b></p>	<p>इस पंचायत में ज्यादातर लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक सीजन में फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ सीजन में मुख्यतः धान की फसल होती है। साथ ही बाजरा एवं कुछ लोग मक्का की भी खेती करते हैं। रबी सीजन में मुख्यतः गेहूँ की फसल होती है। इसके साथ सरसों की खेती एवं कुछ लोग चना/मटर की भी खेती करते हैं। आवारा पशुओं के प्रकोप के कारण दलहनी फसलें बहुत कम ही उगाई जाती हैं।</p> <p>पशुपालन का कार्य पंचायत के दोनों गाँवों में किया जाता है। बारा गाँव में 64 परिवार एवं नरेन्द्र बारा गाँव में 41 परिवार गाय/भैंस का पालन निजी रूप में दुग्ध आपूर्ति के लिए करते हैं। कुछ परिवार व्यवसाय के रूप में दूध बेचते हैं जिसे स्थानीय स्तर पर कार्यरत बड़ी डेयरी इकाईयों से सम्बद्ध कलेक्शन एजेंट द्वारा प्रत्येक दिन एकत्र किया जाता है और उसके एवज में भुगतान किया जाता है। डेयरी के रूप में कोई इकाई पंचायत में नहीं पायी गयी।</p> <p>बकरी पालन का कार्य बारा गाँव में 36 परिवार एवं नरेन्द्र बारा गाँव में 11 परिवार करते हैं। सामान्य जाति के लोग बकरी पालन का कार्य नहीं करते हैं। अच्छी नस्ल की बकरियों की बजाय देसी नस्ल की बकरियाँ ज्यादा पाली जाती हैं। इसके साथ ही बारा गाँव में 2 परिवार भेड़ पालन करते हैं। मुर्गी पालन करने वाले 02 परिवार बारा गाँव में और 1 परिवार नरेन्द्र बारा में हैं।</p>
<p><b>आधारभूत संरचना/, अवस्थापना सुविधाएं (Infrastructural Facilities)</b></p>	<p>पंचायत अंतर्गत दोनों ही राजस्व गांवों में सरकारी प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। बारा में एक ही आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन बना है जिसमें 02 आंगनवाड़ी चलती है। बारा के दोनों आंगनवाड़ी में कुल 53 बच्चे नामांकित हैं। नरेन्द्र बारा में भी 02 आंगनवाड़ी केंद्र है जो प्राथमिक विद्यालय के कक्ष में चलती है जिसमें कुल 37 बच्चे नामांकित हैं। इस पंचायत में 01 मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र है और 03 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं।</p>
<p><b>स्वच्छता की स्थिति</b></p>	<p>गांव भ्रमण के दौरान रोड/संपर्क मार्ग के किनारे कहीं-कहीं पर गोबर के ढेर पाये गए। कूड़ा निस्तारण हेतु संरचना का निर्माण नहीं किया गया है। इसकी एक प्रमुख वजह ग्राम पंचायत के पास बजट/संसाधन का उपलब्ध नहीं होना भी है।</p> <p>इसके साथ ही लोगों में पर्यावरणीय स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता का अभाव है। निजी भूमि पर लोग पशु तो बांधते हैं परंतु गोबर रास्तों के किनारे उपलब्ध जगहों पर एकत्रित करते हैं। लोग गोबर से उपलें भी बनाते हैं जिसे खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस प्लांट/इकाई उपलब्ध नहीं है।</p>



### सामाजिक मानचित्रण (Social Mapping):

गाँव भ्रमण के पश्चात सामाजिक मानचित्रण किया गया। इस प्रक्रिया में संस्था टीम द्वारा उपस्थित लोगों को सोशल मैपिंग के बारे में समझाया गया तथा इसको बनाने के उद्देश्य के बारे में बताया गया। इसके लिए सर्वप्रथम प्रतिभागियों को मैप पर पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं को दर्शाया गया। तत्पश्चात मुख्य सड़क, गाँव के अंदर के संपर्क मार्ग, गाँव की बस्तियां, अन्य संसाधन जैसे-तालाब, कुआं, हैंडपम्प, नहर, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक स्थल, पंचायत भवन तथा खेत-खलिहान इत्यादि को दर्शाया गया। तत्पश्चात अलग-अलग रंगों से श्रेणीवार चीजों को दर्शाया गया। सभी प्रतिभागियों ने सक्रियता से इस कार्य में सहभागिता की और पंचायत का नक्शा बनाना उनके लिए भी अच्छा व सीखने योग्य अनुभव था।

### संबन्धित आंकड़े इस प्रकार हैं:

(जानकारी का स्रोत: स्थानीय समुदाय/पंचायत)

क्रमांक	विवरण	संख्यात्मक/गुणात्मक विवरण
1.	पंचायत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	134.6160 हेक्टेयर
2.	कुल राजस्व गांवों की संख्या	02
3.	टोलों की संख्या	0
4.	पक्के घरों की संख्या	330
5.	कच्चे घरों की संख्या	82
6.	कुल परिवारों की संख्या	412
7.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	50
8.	दिव्यांगजनों की संख्या	16
9.	महिला मुखिया परिवारों की संख्या	37
10.	कुल इण्डियामार्क हैंडपम्पों की संख्या	27 हैंड पम्प सक्रिय हैं। 10 हैंडपम्प निष्क्रिय (चालू नहीं) हैं।
11.	कुओं की संख्या	02 (उपयोग में नहीं)
12.	व्यक्तिगत शौचालय की संख्या	477
13.	पंपिंग सेट/ट्यूबवेल की संख्या	09
14.	अनुसूचित जाति वाले परिवारों की संख्या	210



15.	पिछड़ी जाति वाले परिवारों की संख्या	192
16.	सामान्य जाति वाले परिवारों की संख्या	10
<b>आजीविका के साधन</b>		
17.	सरकारी नौकरी	25
18.	कृषि आधारित आजीविका	337
19.	पशुपालन	70
20.	स्थानीय स्तर पर दुकान	24
21.	गैर कृषक मजदूर	48
22.	कुटीर उद्योग	06

## फोटो



### खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण:

बारा ग्राम पंचायत एक मैदानी क्षेत्र है। यहाँ जाड़ा, गर्मी व बरसात ऋतुएँ होती हैं। समय अंतराल में वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। ग्राम पंचायत के निकट नदी नहीं है। इस कारण यहाँ बाढ़ इत्यादि की समस्या नहीं है। पंचायत से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ससुर खदेरी नामक स्थानीय नदी है। इस नदी में केवल वर्षा ऋतु में ही जल होता है एवं गर्मियों के मौसम में जल सूख जाता है। इस प्रकार यह एक मौसमी नदी है। पंचायत से अत्यंत दूर होने से नदी में वर्षा ऋतु में जल प्रवाह अधिक होने के बावजूद बाढ़ इत्यादि की संभावना नहीं रहती है। क्षेत्र में वर्षा जल भराव की व्यापक समस्या नहीं पायी गयी। अत्यधिक वर्षा होने तथा मुख्य सड़क किनारे नाला जाम होने तथा पानी निकासी नहीं होने से कुछ जगहों पर जल जमाव होता है। गाँव तक पहुँचने के लिए सड़क/संपर्क मार्ग निर्मित हैं और यह प्रत्येक मौसम के लिए है अर्थात् वर्षा ऋतु में भी यहाँ आवागमन में कोई परेशानी नहीं है।

सिंचाई के लिए अब वर्षाजल के बजाय स्थानीय समुदाय के लोग/किसान ज्यादातर पंपिंग सेट/ट्यूबवेल पर निर्भर हो गए हैं। इससे खेतों की सिंचाई तो हो जाती है परन्तु इसके कारण भूमिगत जल का दोहन बहुत बढ़ गया है। स्थानीय लोगों से बातचीत में यह निकलकर आया कि भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन गिरना जा रहा है। बारा गाँव में 2 क्यूँ है परन्तु

सड़क/सम्पर्क मार्ग निर्माण में दब गयी हैं जिससे नहर का पानी नहीं मिल पाता है। इस कारण प्राइवेट नलकूप/पम्पिंग सेट द्वारा सिंचाई करना पड़ता है। इससे भी भूमिगत जल दोहन द्वारा सिंचाई की निर्भरता बढ़ गयी है। वर्षा कम होने तथा सूखे जैसी स्थिति में इसकी ज्यादा जरूरत होती है।

#### जलवायु परिवर्तनशीलता- प्रवृत्ति /परिवर्तनशीलता, मुख्य चुनौतियाँ/झटके एवं तनाव:

स्थानीय समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 20-25 वर्ष पहले की तरह आज वर्षा नहीं होती है जिसका एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा सकता है। इसके साथ ही अनिश्चित मानसून एवं देर से मानसून के आगमन के कारण वर्षा देर से होना जैसी स्थितियाँ पायी गयी हैं। इसके कारण अब कृषि पर निर्भर परिवारों को सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जो न सिर्फ खर्चीला है बल्कि यह भूमिगत जलदोहन को भी बढ़ाता है। गर्मी के दिनों की संख्या पहले की अपेक्षा लगभग 60 दिन बढ़ गयी है। वहीं जाड़े के दिनों की संख्या में उसी अनुरूप कमी आई है।

वर्षा के दिनों में पूर्व के वर्षों के सापेक्ष औसतन 45 से 60 दिनों की कमी होने, वर्षा देर से होने के कारण और कम वर्षा होने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। वर्षा में कमी होने से खरीफ ऋतु में मुख्यतः बोयी जाने वाली फसल धान की पैदावार में उतार चढ़ाव देखा गया है जिसके प्रमुख कारणों में वर्षा जल में कमी के कारण खेतों में आवश्यक नमी का अभाव, बीज की प्रजाति में अंतर, सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता, कीट-पतंगों इत्यादि का प्रकोप भी है। इसके साथ ही अन्य फसलों के उत्पादन में कमी आई है जैसे-बाजरा, ज्वार, अरहर इत्यादि।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्नलिखित आपदाएँ बारा पंचायत को प्रभावित करती हैं:

1. जल जमाव
2. सूखा
3. लू
4. शीतलहर
5. आँधी-तूफान

#### खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएँ:

क्रमांक	आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र				प्रभाव को कम करने हेतु समुदाय के कदम
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन	
1.	जल जमाव	कृषि	वर्षा जल जमाव से धान की फसल को नुकसान की संभावना।	बारा एवं नरेन्द्र बारा गाँव	15 से 20 घर	10 से 15 एकड़ धान की फसल को नुकसान	वर्षा जल जमाव के कारण पानी निकासी हेतु मुख्य सड़क के दोनों ओर नालों की समुचित साफ-सफाई।
		पेयजल स्वच्छता	पेयजल दूषित होना एवं कीचड़ इत्यादि के कारण गंदगी होना।	बारा एवं नरेन्द्र बारा गाँव	30 से 40 घर	07 हैण्डपम्प का पानी दूषित होना। गाँव के रास्ते/सड़क का क्षतिग्रस्त होना।	हैण्डपम्प के आस-पास गंदे पानी की निकासी का प्रबंध, एवं साफ-सफाई।
		स्वास्थ्य	जल जनित बीमारियों का खतरा जैसे- डायरिया, बुखार, फोडा-फुंसी	बारा एवं नरेन्द्र बारा गाँव	25 से 30 घर	प्रभावित घरों के सदस्य विशेषतः छोटे बच्चे, शिशु	डायरिया, बुखार इत्यादि बीमारियों की रोकथाम हेतु उपलब्ध दवाओं, घोल इत्यादि का

क्रमांक	आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र				प्रभाव को कम करने हेतु समुदाय के कदम
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन	
			इत्यादि रोग।				प्रयोग करना।
1	कम वर्षा/सूखा	कृषि	कृषि उत्पादन/कुल कृषि पैदावार में कमी	बारा एवं नरेंद्र बारा गाँव	375 घर	अनुमानित 200 एकड़ खरीफ फसल का प्रभावित होना	ग्राम पंचायत के तालाबों की साफ-सफाई एवं पानी भरना।
		भू-जल	भूजल पर निर्भरता बढ़ना एवं इसके अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर में कमी होना।	बारा एवं नरेंद्र बारा के निवासी	140 घर	लगभग 12 से 15 हैण्डपम्प का निष्क्रिय होना।	-
		पशु पालन	पशुओं के लिए पानी का संकट, पशु चारे की समस्या	बारा एवं नरेंद्र बारा के निवासी	110 घर	गाय, भैंस एवं बकरी पर प्रभाव	पशुओं के लिए पानी हेतु निजी पंपिंग सेट का उपयोग, चारे का प्रबंध करना
		खाद्यान्न (अनाज आपूर्ति)	कम फसल उत्पादन के कारण खाद्यान्न संकट की संभावना	बारा एवं नरेंद्र बारा के निवासी	अनुमानित 375 परिवार		सरकारी मदद (राशन वितरण प्रणाली) द्वारा या बाजार से मंहगे दर पर अनाज खरीदना।
		पर्यावरण	तापमान में वृद्धि एवं इससे संबन्धित अन्य पर्यावरणीय/ व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ	बारा एवं नरेंद्र बारा गाँव एवं आस-पास के क्षेत्र	-	मानव संसाधन के साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय बदलाव का नकारात्मक प्रभाव	वृक्षारोपण करना। दैनिक मजदूरी वाले कार्यों, खेतिहर मजदूरी कार्यों को ज्यादा धूप में करने से बचना।
		आजीविका	कृषि आधारित आजीविका प्रभावित होना	बारा एवं नरेंद्र बारा गाँव	390 परिवार	-	वैकल्पिक रूप में मनरेगा कार्यों की मांग करना, दैनिक मजदूरी वाले कार्य ढूँढना।
	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को लू लगना व बीमार होना	बारा एवं नरेंद्र बारा	400 से अधिक घर	मानव एवं जानवर (गाय, भैंस, बकरी इत्यादी)	दोपहर में या ज्यादा तापमान होने पर आने-जाने, भारी श्रम वाले कार्यों को नहीं करना।
	शीत लहर	कृषि	फसलों को नुकसान होना (आलू)	बारा एवं नरेंद्र बारा	25 घर	खेत में बोयी गयी आलू की फसल	-

क्रमांक	आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र				प्रभाव को कम कर हेतु समुदाय के कदम
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन	
		स्वास्थ्य	मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान। पशु हानि की भी संभावना	बारा एवं नरेंद्र बारा गाँव	150 घर	-	अलाव/आग इत्यादि के द्वारा शरीर गंदा रखना। पशुओं को खुले में नहीं बांधना
	औंधी-तूफान/ ओला वृष्टि	कृषि व भौतिक संसाधन	भौतिक संसाधन को नुकसान, झुग्गी-झोपड़ी वाले परिवार	बारा एवं नरेंद्र बारा गाँव	25 घर	चारा/भूसा की हानि होना। झोपड़ पट्टी वाले घरों की क्षति होना।	समय रहते ही संभव चारे/भूसे को सुरक्षित करना। झोपड़ पट्टी को मरम्मत करना।

#### आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम :

ग्राम पंचायत बारा में आपदाओं के बारे में स्थानीय समुदाय के लोगों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की गयी। इस क्रम में आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा जानने का प्रयास किया गया। चर्चा क्रम में कोई ऐसी आपदा नहीं चिन्हित हो पायी जो प्रत्येक वर्ष वहाँ के लोगों को प्रभावित कर रही हो। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्षा में देरी, कम वर्षा अथवा सूखे जैसी स्थिति होना पाया गया जिसका प्रभाव व्यापक है अर्थात् इसका प्रभाव केवल बारा पंचायत में ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य कई जनपदों में दिखलाई पड़ता है।

सूखे जैसी स्थिति होने के बावजूद अक्सर सरकारी स्तर पर इसे घोषित नहीं किया जाना एक प्रमुख मुद्दा है। इसके कारण फसल नुकसान के एवज में किसानों को मुवावजा नहीं मिल पाता है। कोरोना वैश्विक बीमारी का प्रकोप बारा पंचायत के लोगों पर भी रहा जिसके कारण आजीविका सम्बन्धी सभी गतिविधियां प्रभावित रहीं। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लोग अपने-अपने घरों में बन्द रहे। इस कारण दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवार, छोटे किसान, प्राइवेट नौकरी-पेशा वाले लोग, छोटे दुकानदार की आजीविका अधिक प्रभावित हुयी।

प्राप्त सूचना अनुसार आपदाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	आपदा/खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	1987	प्लेग	गंभीर जीवाणु संक्रमण (पिस्सू)	0	3 परिवार	-	कोई नहीं
2.	2016	अतिवृष्टि (अत्यधिक वर्षा)	मौसमी दशाओं में बदलाव	0	43 परिवार	27 एकड़ फसल को अधिक वर्षा से नुकसान	कोई नहीं
3.	2018	फसल में आग लगना (आगजनी की घटना)	गर्म मौसम एवं दुर्घटना	0	7 परिवार	7 एकड़ फसल को आग से नुकसान	आग लगने के कारणों/घटनाओं के प्रति सचेत होना, आग नियंत्रण हेतु पानी इत्यादि की व्यवस्था एवं निगरानी रखना।
4.	2020-21	कोरोना महामारी	कोरोना वायरस	2	15 परिवार	काम धन्धे, मार्केट इत्यादि	कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी सरकारी निर्देशों का



**बीमारी व स्वास्थ्य की स्थिति का मौसमी कलेण्डर:**

बीमारी	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.
सर्दी, जुकाम व खांसी												
मलेरिया												
टायफाइड/बुखार												
निमोनिया												
फोड़ा-फुसी												
डायरिया व उल्टी दस्त												

बीमारी व स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित तालिका से देखने पर यह पता चलता है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप इस पंचायत में भी रहता है। विशेषतः जून महीने से लेकर सितंबर/अक्तूबर महीने तक मौसमी बीमारियों का प्रकोप ज्यादा पाया गया। जाड़े के मौसम में भी निमोनिया, सर्दी, जुकाम, खांसी का प्रकोप पाया गया है।

**फसल व रोग का मौसमी कलेण्डर:**

फसल व रोग	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.
<b>खरीफ फसल चक्र</b>												
धान												
बाजरा												
अरहर												
<b>रबी फसल चक्र</b>												
गेहूँ												
आलू												
मटर												
चना												
सरसों												

खरीफ फसल में मुख्यतः धान की फसल की रोपाई मध्य जून से जुलाई तक की जाती है और अक्तूबर मध्य तक फसल तैयार हो जाती है। धान की फसल में खैरा रोग एवं झुलसा रोग अगस्त व सितंबर महीने में लगता है। बाजरा मध्य जुलाई से मध्य नवंबर तक होता है। दलहनी फसल में अरहर की खेती सीमित रूप में की जाती है जिसकी समयावधि जुलाई मध्य से फरवरी मध्य तक होती है। रबी फसल में मुख्यतः गेहूँ की फसल उगाई जाती है। इसके साथ ही आलू, मटर, चना एवं सरसों की भी खेती होती है। औसतन ये फसलें नवम्बर मध्य से दिसंबर तक में बोयी जाती हैं और मार्च महीने में तैयार हो जाती है। गेहूँ की फसल पर तेज हवा, गर्मियों में बारिश व तेज हवा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। आलू की फसल पर कुहरा/पाला का प्रभाव दिसंबर/जनवरी महीने में होता है। सरसों में माहो रोग ज्यादातर लगता है। बाज़ार में उपलब्ध कीटनाशक का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है।

### आपदाओं का प्राथमिकीकरण:

आपदा	प्रभाव का क्षेत्र							योग
	मानव	पशु	खेती	आजीविका	पशुचारा	मकान	सड़क	
सूखा	9	7	10	10	9	0	0	45
जल जमाव	6	3	5	2	5	4	3	28
लू	7	5	3	4	5	0	0	24
शीतलहर	6	5	5	3	0	0	0	19
आँधी तूफान	4	2	6	0	0	2	0	17

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस पंचायत में सूखा सबसे बड़ी और प्रमुख आपदा है। मानसून देरी से आने, पूर्व के वर्षों की अपेक्षा कम वर्षा, वर्षा ऋतु की समाप्ति वाले महीने (सितम्बर) में थोड़े दिनों के लिए किन्तु ज्यादा वर्षा जैसे स्थितियाँ सूखा की स्थिति उत्पन्न करती हैं जिससे कृषि को काफी नुकसान पहुंचता है। अपर्याप्त वर्षा/सूखा के कारण भू-जल स्तर भी दिनों-दिन नीचे खिसक रहा है। अंको के आधार पर दूसरे नंबर की आपदा जल-जमाव है। यद्यपि यह केवल ज्यादा बारिश होने पर ही किसी-किसी वर्ष होती है। इसी क्रम में लू तीसरे नंबर की, शीतलहर चौथे नंबर की और आँधी-तूफान पांचवें नंबर की आपदा चिन्हित की गयी।

### नाजुकता विश्लेषण:

आपदा के प्राथमिकीकरण के पश्चात इसके न्यूनीकरण हेतु नाजुकता का विश्लेषण महत्वपूर्ण है जिससे विभिन्न आपदाओं/खतरों का कितना प्रभाव है और किन क्षेत्रों और वर्गों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसको जाना जा सके। इसके साथ ही उपलब्ध संसाधन को चिन्हित करना जरूरी है। पंचायत के विभिन्न हितभागियों जैसे-प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा इत्यादि से चर्चा कर नाजुक वर्ग, स्थल एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों एवं वर्गों के साथ ही उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्र की गयी जो नीचे तालिका में दी गयी है।

खतरा	घर/खेती		नाजुकता संवर्ग एवं उनकी संख्या			
			लोग/समुदाय		संसाधन	
	क्षेत्र	संख्या	वर्ग	संख्या	प्रकार	संख्या
सूखा	खेती	सम्पूर्ण खेती	छोटे किसान	लगभग 330	तालाब गड्डे	08 02
	पेयजल	02 गाँव (बारा एवं नरेंद्र बारा)	90% आबादी	लगभग 370 घर	हैण्डपम्प	27
जल जमाव	खेती	20 एकड़ खेती	छोटे किसान	30 किसान	नाला नहर	1 1
	आजीविका	2 गाँव	छोटे किसान/ गरीब परिवार	30 किसान	पशु मजदूर	-
	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य	2 गाँव	बच्चे, वयोवृद्ध दिव्याङ्ग	30 घर	नाला तालाब	1 8
लू	स्वास्थ्य	2 गाँव	पूरी आबादी	412 घर	पक्के मकान कच्चे मकान	310 72
ओलावृष्टि/ आँधी तूफान	फसल	2 गाँव	किसान	330 घर	खेत पशुधन	-

### क्षमता आकलन:

आपदाओं के कारण होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के दृष्टिकोण से पंचायत में उपलब्ध संसाधनों को वहाँ के स्थानीय समुदाय से मिलकर चिन्हित किया गया जिससे क्षमता का आकलन किया जा सके। संसाधनों को भी श्रेणीवार तरीके से अलग-अलग चिन्हित किया गया। भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधन को सामाजिक मानचित्रण में भी चिन्हित किया गया। साथ ही मानवीय संसाधन एवं वित्तीय संसाधन संबंधी सूचनों/आंकड़ों को चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया।



	आशा (नरेन्द्र बारा)	01	कृष्णा कुमारी	0.5 किमी
	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (बारा-I)	01	पूनम साहू	0.2 किमी
	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (बारा-II)	01	शैल कुमारी	0.2 किमी
	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (नरेन्द्र बारा-I)	01	अमरावती देवी	0.5 किमी
	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (नरेन्द्र बारा-II)	01	रेखा देवी	0.5 किमी
	ए०एन०एम०	01	नम्रता सिंह	1 किमी
	हेड मास्टर, प्राथमिक विद्यालय-बारा	01		0.4 किमी
	प्रधानाध्यापक- पूर्व माध्यमिक विद्यालय-बारा	01		0 किमी
	हेड मास्टर, प्राथमिक विद्यालय-नरेन्द्र बारा	01		0.5 किमी
	प्रधानाध्यापक- पूर्व माध्यमिक विद्यालय-नरेन्द्र बारा	01		0.5 किमी
	पशु डॉक्टर	01		0.5 किमी

#### वित्तीय संसाधन विवरण:

ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	मद का नाम	वर्ष (2022-23) में आवंटित धनराशि	वर्ष 2023-24 के लिए संभावित धनराशि
1.	15वाँ वित्त आयोग	604765.00	600000.00
2.	मनरेगा	2100000.00	2500000.00
2.	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओ०एस०आर०)	0	-

#### संसाधन मैट्रिक्स/सेवा-सुविधा चित्रण

इसी क्रम में पंचायत सीमा से बाहर उपलब्ध सेवा एवं सुविधादाताओं की सूची तैयार की गयी जिससे आपदा के दौरान इनकी मदद से आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा के पश्चात की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके एवं आवश्यकता पड़ने पर और अधिक क्षमतायुक्त किया जा सके। संसाधन मैट्रिक्स से प्राप्त सूचनाओं का विवरण नीचे तालिका उल्लेखित है-

संसाधन विवरण	कुल संख्या	गाँव से दूरी
जिला मुख्यालय (मंझनपुर)	1	27 किमी
तहसील मुख्यालय (मंझनपुर)	1	27 किमी
जिला अस्पताल	1	27 किमी
पोलिस स्टेशन (थाना)-कौशांबी	1	05 किमी
पावर हाउस-(गोपसहसा)	1	4.5 किमी
बस स्टैंड (सराय अकिल)	1	08 किमी
रेलवे स्टेशन (बमरौली)	1	37 किमी

पेट्रोल पम्प (इंडियन आयल, नायरा)	1	0.5 किमी
राज्य मार्ग	1	0 किमी
राष्ट्रीय राज्य मार्ग	1	40 किमी
स्थानीय बाज़ार, चौराहा (सराय अकिल)	1	08 किमी
सब्जी मण्डी (स्थानीय हाट)	1	0 किमी
सहज सेवा केंद्र	05	0.4 किमी
डिग्री कालेज	1	0.5 किमी
इंटरमीडियट कालेज (बीएम पब्लिक इंटर कालेज)	1	0 किमी

### क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर खुली बैठक के माध्यम से समस्याओं को चिन्हित किया गया एवं प्राथमिकता तय की गयी। ग्राम पंचायत के दोनों राजस्व गांवों में भ्रमण कर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों/जल निकाय क्षेत्रों जैसे-तालाब, कुओं इत्यादि का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिससे इनकी वर्तमान स्थिति को समझा जा सके। जल निकाय क्षेत्रों की स्थिति में सुधार के साथ ही साथ प्राथमिकता वाले अन्य कार्यों को शामिल करने हेतु विभिन्न हितभागियों से संपर्क किया गया।

उक्त आधार पर प्रस्तावित कार्ययोजना इस प्रकार है-

क्र. सं.	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु० में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
1.	मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा, साफ-सफाई और स्वच्छता	नाला मरम्मत कार्य	नाला मरम्मत/खुदाई कार्य (वर्षा जल भराव की रोकथाम हेतु)	कौशाम्बी मुख्य सड़क के दोनों तरफ, बारा गाँव	175,000	जून से अगस्त-2023	15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
2.		कूड़ा निस्तारण हेतु संरचना इकाई निर्माण	पंचायत में सार्वजनिक कूड़ा निस्तारण संरचना निर्माण कार्य	ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि पर	150,000	अक्टूबर से दिसंबर-2023	15वां वित्त आयोग एस.बी.एम.-G/ अन्य स्रोत
3.		कूड़ा निस्तारण हेतु संरचना इकाई निर्माण	पंचायत में व्यक्तिगत कूड़ा निस्तारण संरचना निर्माण कार्य	इच्छुक परिवारों की निजी भूमि/स्थान पर	120,000	जनवरी 2023 से मार्च-2024	15वां वित्त आयोग एस.बी.एम.-G/ अन्य स्रोत
4.		नाली निर्माण कार्य	गाँव बारा से अर्जुन के खेत तक नाली निर्माण (लंबाई 350 मी०)	बारा गाँव में	175,000	अप्रैल से मई-2023	15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
5.		नाला निर्माण कार्य	अशोक के घर से अमर सिंह के दुकान तक नाला निर्माण (लंबाई 300 मी०)	बारा गाँव में	175,000	अप्रैल से मई-2023	15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
6.		नाला निर्माण	कौशाम्बी रोड से	बारा गाँव में	250,000	अप्रैल से मई-	15वां वित्त

क्र. सं	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु० में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
		कार्य	पूर्व माध्यमिक विद्यालय के आगे तक नाला निर्माण (लम्बाई 300 मी०)			2023	आयोग/ अन्य स्रोत
7.		नाली निर्माण कार्य	श्रवण के गोड़ा से तालाब तक नाली निर्माण कार्य (लम्बाई: 200 मी०)	बारा गाँव में	150,000	अप्रैल से मई-2023	15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
8.		शौचालय निर्माण कार्य	स्कूल शौचालय का मरम्मत कार्य	प्राथ० विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक वि०, बारा	60,000	मई व जून-2023	एस.बी.एम-G/ अन्य स्रोत
9.		शौचालय मरम्मत कार्य	सार्वजनिक शौचालय में मरम्मत	नरेन्द्र बारा गाँव	150,000	मई व जून-2023	एस.बी.एम-G/ अन्य स्रोत
10		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	शौचालय विहीन परिवारों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	बारा- 35 एवं नरेन्द्र बारा गाँव- 15 शौचालय	750,000	अक्तूबर से दिसंबर-2023	एस.बी.एम-G/ अन्य स्रोत
11		स्कूल छत मरम्मत कार्य	वर्षा ऋतु में स्कूल छत से पानी टपकने की रोकथाम हेतु मरम्मत कार्य	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बारा	450,000	मई व जून-2023	15वां वित्त आयोग एस.बी.एम-G
12		हैण्डपम्प रिबोरिंग/ मरम्मत कार्य	पेयजल आपूर्ति हेतु हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोरिंग (बारा में 30 परिवार एवं नरेन्द्र बारा में 43 परिवारों को घरेलू उपयोग हेतु पानी मिल सकेगा)	बारा गाँव में- 5 हैण्डपम्प नरेन्द्र बारा में 5 हैण्डपम्प	200,000	अप्रैल से जून-2023	15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
13		सोखता गड्ढा निर्माण कार्य	जल भराव वाले स्थानों से जल निकासी हेतु संरचना निर्माण	बारा गाँव में (खलिहान एरिया के आस-पास) बस्तियों में आरसीसी रोड के किनारे	140,000	जनवरी 2023 से मार्च-2024	15वां वित्त आयोग एस.बी.एम-G

क्र. सं.	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु० में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
14		नाली निर्माण कार्य	जल भराव वाले स्थानों से जल निकासी हेतु नाली निर्माण, नाली मरम्मत कार्य	पूर्व माध्यमिक वि० के सामने, नरेंद्र बारा	140,000	जनवरी 2023 से मार्च-2024	15वां वित्त आयोग एस.बी.एम-G/अन्य स्रोत
15	बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	तालाब का जीर्णोद्धार व संरक्षण	भैरव बाबा तालाब का जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई कार्य । (क्षेत्रफल: 2.792 एकड़)	पंचायत भवन के पास, बारा ।	250,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/ अन्य स्रोत
16		तालाब का जीर्णोद्धार व संरक्षण	भगतबारी तालाब का जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई कार्य । (क्षेत्रफल: 5.732 एकड़)	प्राथमिक विद्या० बारा से 600 मी० उत्तर	350,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/अन्य स्रोत
17		तालाब का जीर्णोद्धार व संरक्षण	तुरकन तालाब का जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई कार्य । (क्षेत्रफल: 0.931 एकड़)	केदारनाथ त्रिपाठी के घर से 250 मीटर उत्तर तरफ, बारा	180,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/अन्य स्रोत
18		तालाब का जीर्णोद्धार व संरक्षण	तालाब नंबर-4 का जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई कार्य । (क्षेत्रफल: 0.422 एकड़)	बारा गाँव बस्ती में	120,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/अन्य स्रोत
19		तालाब का जीर्णोद्धार व संरक्षण	तालाब नंबर-5 का जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई कार्य । (क्षेत्रफल: 0.850 एकड़)	बारा गाँव बस्ती में	120,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/अन्य स्रोत
20		तालाब का जीर्णोद्धार व संरक्षण	कुबरा तालाब का जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई कार्य। (क्षेत्रफल: 0.365 एकड़)	ब्लॉक ऑफिस कैम्पस में, बारा गाँव	120,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/अन्य स्रोत
21		तालाब का जीर्णोद्धार व संरक्षण	बड़की गड़ही तालाब का जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई कार्य	बारा रजबही से 100 मीटर उत्तर में, नरेन्द्र	120,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/अन्य स्रोत

क्र. सं	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु० में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
			। (क्षेत्रफल: 0.5065 एकड़)	बारा गाँव			
22		तालाब का जीर्णोद्धार व संरक्षण	लच्छीतारा तालाब का जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई कार्य। (क्षेत्रफल:1.270 एकड़)	बारा रजबही पुलिया से 600 मी० दक्षिण में, नरेंद्र बारा	150,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/अन्य स्रोत
23		कुओं के सफाई/ पुनरुद्धार कार्य	जलस्रोतों के पुनरुद्धार हेतु पारंपरिक कुओं की साफ-सफाई, पुनरुद्धार	बारा गाँव कुल 2 कुआँ	180,000	अप्रैल से जून-2023	मनरेगा/अन्य स्रोत
24		रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य	वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण	प्राथमिक विद्यालय, बारा	110,000	जुलाई से सितं०2023	मनरेगा/15वां वित्त आयोग/अन्य स्रोत
25		रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य	वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बारा	110,000	जुलाई से सितं०2023	मनरेगा/ 15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
26		रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य	वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण	प्राथमिक विद्यालय, नरेन्द्र बारा	110,000	जुलाई से सितं०2023	मनरेगा/15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
27		रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य	वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण	पूर्व माध्यमिक विद्यालय, नरेन्द्र बारा	110,000	जुलाई से सितं०2023	मनरेगा/15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
28		रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य	वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC), बारा	110,000	जुलाई से सितं०2023	मनरेगा/15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
29		रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य	वर्षा जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण	पंचायत भवन, बारा	110,000	जुलाई से सितं०2023	मनरेगा/15वां वित्त आयोग/ अन्य स्रोत
30		नहर से बारा तक रजबहा/ कच्ची चौड़ी नाली का निर्माण कार्य	कृषि सिंचाई हेतु कनैली नहर से बारा रजबहा का मरम्मत कार्य (बारा गाँव के	बारा रजबहा 3.5 km लंबाई पंचायत भवन, बारा	350,000	अप्रैल से मई-2023	मनरेगा/ सिंचाई विभाग के तहत अनुमान्य बजट/अन्य

क्र. सं	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (₹ में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
			अतिरिक्त मेड़रहा, डेकहाई, नरेन्द्र बारा एवं पहड़िया गाँव में कृषि सिंचाई व्यवस्था	से लगभग 500 मी० दक्षिण में।			स्रोत
31		सौर ऊर्जा की स्थापना (व्यक्तिगत)	घरेलू सौर ऊर्जा इकाई (सोलर पैनल की स्थापना)	बारा में: 75 नरेन्द्र बारा में: 50	62,50,000	जनवरी से दिसम्बर	अन्य स्रोत
32		सौर ऊर्जा की स्थापना (सार्वजनिक)	नवीकरणीय ऊर्जा (Renewal Energy) के प्रोत्साहन हेतु सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगाना	नरेन्द्र बारा गाँव में 15 स्थानों पर बारा गाँव में 10 स्थानों पर	625,000	जुलाई से सितंबर 2023	अन्य स्रोत
33		वृक्षारोपण कार्य	हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु ग्राम पंचायत की उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कार्य	बारा एवं नरेन्द्र बारा में तालाब के आस-पास वृक्षारोपण क्षेत्रफल:2 एकड़)	50,000	जुलाई व अगस्त-2023	मनरेगा/ अन्य स्रोत
34		इन्सिनरेटर (Incinerator) की स्थापना	इस्तेमाल किए गए सैनीटरी पैड/कचरा के समुचित निस्तारण हेतु इन्सिनरेटर (Incinerator) की स्थापना- 2 यूनिट)	पूर्व माध्यमिक वि.बारा-1. सामुदायिक शौचालय, नरेन्द्र बारा गाँव-1	125,000	मई व जून-2023	एस.बी.एम-G/अन्य स्रोत
35	आजीविका, कृषि/ पशुपालन	जैविक खाद/ वर्मी कम्पोस्ट हेतु संरचना निर्माण	रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को कम करने हेतु गोबर से जैविक खाद बनाने, वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु	बारा में ग्राम सभा की भूमि पर-1 वर्मी कम्पोस्ट/ नाडेप नरेन्द्र बारा में ग्राम सभा भूमि-1	75,000	जनवरी 2023 से मार्च-2024	मनरेगा कृषि विभाग के तहत अनुमन्य बजट/ अन्य स्रोत
36		नर्सरी लगाना	स्वयं सहायता समूहों में आजीविका संवर्धन हेतु नर्सरी	स्वयं सहायता समूह सदस्यों के पास	150,000	जून व जुलाई 2023	NRLM व अन्य वित्तीय संस्थान

क्र. सं.	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (₹ में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
			लगाना	उपलब्ध भूमि पर			
37		पशुपालन	स्वयं सहायता समूहों में आजीविका संवर्धन हेतु पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	स्वयं सहायता समूह सदस्यों के पास उपलब्ध भूमि पर	450,000	अक्तूबर से दिसंबर 2023	NRLM व अन्य वित्तीय संस्थान
38		कुटीर उद्योगों की स्थापना	एफ०पी०ओ०, NRLM के तहत गठित ग्राम संगठन इत्यादि के माध्यम से कुटीर उद्योग लगाना जैसे- अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना, नमकीन बनाना, खोया/पनीर, दुग्ध उत्पाद बनाना)	स्वयं सहायता समूह सदस्यों के पास उपलब्ध भूमि पर	250,000	जनवरी 2023 से मार्च-2024	नाबार्ड, कृषि विभाग व अन्य सम्बद्ध विभाग व संस्थान/अन्य स्रोत

#### आपदा का आजीविका पर प्रभाव:

क्र. सं.	आजीविका के साधन	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	375 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>• फसल हानि या कम फसल, उत्पादन में कमी।</li> <li>• कृषि सिंचाई की लागत में वृद्धि होना।</li> <li>• उत्पादित खाद्यान्न (अनाज) की गुणवत्ता में कमी होना।</li> <li>• छोटे एवं सीमांत किसानों (अधिया/बटाई) पर खेती करने वालों को ज्यादा नुकसान।</li> </ul>
		15 से 20 परिवार	जल जमाव				<ul style="list-style-type: none"> <li>• धान की खड़ी फसल को नुकसान होना।</li> <li>• जल जमाव वाले खेतों में खरीफ की फसल का कम उत्पादन होना।</li> <li>• धान की फसल में रोग इत्यादि लगाने की संभावना।</li> </ul>



							<ul style="list-style-type: none"> <li>● जल भराव वाले खेतों में रबी वाली फसल बुवाई की (गेंहूँ) । संभावना की होने देरी में</li> </ul>
		25 परिवार	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● शीत ऋतु में पाला पड़ने के कारण आलू के कुल उत्पादन में कमी होना, फसल हानि होना</li> <li>● रबी सीजन वाली फसलों में कृषि सिंचाई करने में परेशानी</li> </ul>
2.	दैनिक मजदूरी	106 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● कृषि मजदूरी वाले कार्यों में कमी होना, फलस्वरूप आय में कमी</li> <li>● कृषिगत मजदूरी के अतिरिक्त अन्य दैनिक मजदूरी वाले कार्यों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना</li> <li>● खाद्यान्य संकट/कमी के कारण बाज़ार से खरीदने की विवशता एवं घरेलू खर्च में वृद्धि होना ।</li> </ul>
		106 परिवार	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● अचानक स्वास्थ्य खराब होना (लगना ठंड)</li> <li>● दैनिक मजदूरी वाले कार्यों में कमी होना एवं आय में कमी</li> </ul>
3.	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन)	70 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> <li>● पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता में कमी होना ।</li> <li>● तालाबों/जलस्रोतों के सूख जाने से पशुओं के लिए पीने के पानी का संकट उत्पन्न होना ।</li> <li>● तापमान बढ़ने के कारण बीमारियों संक्रामक रोगों से पशु हानि की संभावना होना।</li> <li>● दुग्ध उत्पादन में कमी होना।</li> <li>● मुर्गी पालन व्यवसाय में चूजे मर जाना ।</li> </ul>
		70 परिवार	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● ठण्ड के कारण खुले में बंधे पशुओं की मृत्यु हो जाना ।</li> <li>● दुग्ध उत्पादन में कमी होना ।</li> <li>● बकरी पालन व्यवसाय में ठण्ड एवं बीमारी के कारण हानि की ज्यादा संभावना ।</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>● अत्यधिक ठण्ड में मुर्गी पालन व्यवसाय में चूजों की मृत्यु हो जाती है।</li> </ul>
4.	स्वयं का व्यवसाय / दुकान छोटी	24 परिवार	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● दैनिक मजदूरी पर निर्भर ज्यादातर परिवारों की आय में कमी होने से गांवों की छोटी दुकानों से कम खरीद होती है।</li> <li>● मौसमी प्रभाव के कारण शीतलहर में व्यवसाय मन्द पद जाता है।</li> </ul>

#### क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल:

सहभागी पूर्ण कार्ययोजना निर्माण के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए पाँच बिन्दुओं पर समुदाय के द्वारा विशेष रूप से केन्द्रित किया गया जिससे कि ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने में सहायता मिल सके-

#### 1. मौसम केन्द्रित-

- मौसम के पूर्वानुमान के सम्बन्ध में ग्रामीणों विशेषरूप से जोखिमपूर्ण स्थितियों में जीवन यापन कर रहे परिवारों की समय-समय पर क्षमता निर्माण करना जिससे मौसम में हो रहे बदलाव व उसके प्रभाव को पूर्व तैयारी के द्वारा कम किया जा सके।
- मौसम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित कृषि सलाहकार का नियोजन करना।
- आघात सहन करने वाली फसलों (मोटे अनाज वाली फसलों) को बढ़ावा देना जिससे खरीफ, रबी व जायद में इसके अनुरूप फसलों का चयन कर आपदा विशेषकर सूखा जैसी प्रमुख आपदाओं की स्थितियों में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके।

#### 2. जल केन्द्रित-

- विभिन्न तरीकों से वर्षा जल का संचयन करना जिससे जल का संरक्षण किया जा सके और वर्ष दर वर्ष भू-जल के अतिदोहन के कारण गिरते भू-जल स्तर में वृद्धि करने में सहायक हो सके।
- जल संसाधनों की बेहतर सफाई व गहरा कर पानी के ठहराव को लंबे समय के इस्तेमाल के लिए संरक्षित करना जिससे कम वर्षा या सूखे की स्थिति में उसका उपयोग सिंचाई व पशुओं के लिए पानी पीने आदि में किया जा सके।
- घर से निकलने वाले गन्दे पानी व मलजल का उपयोग खेती व पोषण वाटिका इत्यादि में करना एवं इस हेतु किसानों/स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करना।

							<ul style="list-style-type: none"> <li>● अत्यधिक ठण्ड में मुर्गी पालन व्यवसाय में चूजों की मृत्यु हो जाती है।</li> </ul>
4.	स्वयं का व्यवसाय / दुकान छोटी	24 परिवार	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> <li>● दैनिक मजदूरी पर निर्भर ज़्यादातर परिवारों की आय में कमी होने से गांवों की छोटी दुकानों से कम खरीद होती है।</li> <li>● मौसमी प्रभाव के कारण शीतलहर में व्यवसाय मन्द पद जाता है।</li> </ul>

#### क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल:

सहभागी पूर्ण कार्ययोजना निर्माण के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए पाँच बिन्दुओं पर समुदाय के द्वारा विशेष रूप से केन्द्रित किया गया जिससे कि ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने में सहायता मिल सके-

#### 1. मौसम केन्द्रित-

- मौसम के पूर्वानुमान के सम्बन्ध में ग्रामीणों विशेषरूप से जोखिमपूर्ण स्थितियों में जीवन यापन कर रहे परिवारों की समय-समय पर क्षमता निर्माण करना जिससे मौसम में हो रहे बदलाव व उसके प्रभाव को पूर्व तैयारी के द्वारा कम किया जा सके।
- मौसम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित कृषि सलाहकार का नियोजन करना।
- आघात सहन करने वाली फसलों (मोटे अनाज वाली फसलों) को बढ़ावा देना जिससे खरीफ, रबी व जायद में इसके अनुरूप फसलों का चयन कर आपदा विशेषकर सूखा जैसी प्रमुख आपदाओं की स्थितियों में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके।

#### 2. जल केन्द्रित-

- विभिन्न तरीकों से वर्षा जल का संचयन करना जिससे जल का संरक्षण किया जा सके और वर्ष दर वर्ष भू-जल के अतिदोहन के कारण गिरते भू-जल स्तर में वृद्धि करने में सहायक हो सके।
- जल संसाधनों की बेहतर सफाई व गहरा कर पानी के ठहराव को लंबे समय के इस्तेमाल के लिए संरक्षित करना जिससे कम वर्षा या सूखे की स्थिति में उसका उपयोग सिंचाई व पशुओं के लिए पानी पीने आदि में किया जा सके।
- घर से निकलने वाले गन्दे पानी व मलजल का उपयोग खेती व पोषण वाटिका इत्यादि में करना एवं इस हेतु किसानों/स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करना।

- सिंचाई में नयी तकनीकी जैसे फ़ौवारा विधि (ड्रिप इरिगेशन) को अपनाना जिससे सिंचाई में लगने वाली लागत के साथ ही पानी की खपत को भी कम किया जा सके।

### 3. कृषि केन्द्रित

- विभिन्न तकनीकों के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देना। पारंपरिक खेती के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे-मिश्रित खेती, फसल चक्र, लघु सिंचाई साधनों का उपयोग करना। रसायन के प्रयोग में सूक्ष्म खुराक की आपूर्ति के लिए नयी तकनीकी का उपयोग करना।
- दलहनी फसलों को बढ़ावा देना जिससे मिट्टी व उर्वरा शक्ति की वृद्धि किया जा सके। इसके अलावा सिंचाई में जल की खपत व खर्च को कम किया जा सके।
- पॉलीहाउस तकनीकी से सब्जी की खेती व पौध के नर्सरी का विकास करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।


### 4. सूचना व जानकारी केन्द्रित-


- विकास क्षेत्रों में सामंजस्य बनाना। आपदा अनुकूलन पद्धति में आकस्मिक नियोजन।
- वित्तीय प्रबंधन की क्षमता विकास। आजीविका प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
- व्यवसाय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। समान कार्य के लिए समान पारितोषिक सुनिश्चित करना।

### 5. ऊर्जा केन्द्रित-

- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बजाय नवीकरण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- जैविक कचरे व मल से बायोगैस का निर्माण।
- गैर-नवीकरण ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।

उपरोक्त लिखित बिन्दुओं के अंतर्गत विवरण के अनुसार 'क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल' को आकृत रूप में नीचे दर्शाया गया है -





\*\*\*\*\*

# अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
<b>हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना</b>				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p><b>चरण 1:</b> वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p><b>चरण 2:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)<sup>92</sup> = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)<sup>93</sup> = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO<sub>2</sub>e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> <li>300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> <li>लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> </ul>		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं )</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत<sup>94</sup> = ₹40,000/हेक्टेयर<sup>95</sup></p>	

92 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

93 लागत बाजार भाव के अनुसार

94 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

95 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

## सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<b>₹1 लाख प्रति हेक्टेयर</b>	
2	मेड़बन्धी का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p><b>चरण 2:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p><b>चरण 3:</b> मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</li> <li>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</li> </ul>	<b>1 मी. मेड़बन्दी के लिए<sup>96</sup> = ₹150 रुपये</b>	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> 5-10 तालाब</p> <p><b>चरण 2:</b> 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m<sup>3</sup></p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	<b>1 कृषि तालाब का निर्माण<sup>97</sup> = ₹90,000</b>	

96 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

97 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत



क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
5	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): <b>₹60,000</b></p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): <b>₹33,000</b></p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--&gt; प्रति एकड़ लागत = <b>₹2,500</b></p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---&gt; प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत<sup>98</sup>: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-&gt;2.471 * 1,00,000 = <b>₹2,47,100</b></p>	

98 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी ( UPSOCA\_Tariff\_20March.pdf (apeda.gov.in) ) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई )</p> <p><b>चरण 3:</b> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</p>	<p>10 m<sup>3</sup> क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत<sup>99</sup> = <b>₹35,000</b></p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = <b>₹35,000</b></p>	
2	जल निकायों का रखरखाव  (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p><b>चरण 1:</b> जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p><b>चरण 2:</b> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p><b>चरण 3:</b> जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत<sup>100</sup>: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = <b>₹7 लाख</b></p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर<sup>3</sup> क्षमता) का निर्माण = : <b>₹7 लाख</b></p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = <b>₹1,200 प्रति यूनिट</b></p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = <b>₹3, 75,000</b></p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = <b>₹50,000</b></p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = <b>₹20 प्रति यूनिट</b></p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p><b>चरण 2 और 3:</b> चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	<p>अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें</p>	

99 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

100 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

## सतत और उन्नत गतिशीलता

1	सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक	
2	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	<b>चरण 1:</b> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना <b>चरण 2 &amp; 3:</b> निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 लाख से 10 लाख	

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<b>चरण 1:</b> a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. कूड़ादानों की स्थापना d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना	कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें; बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/ अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या <sup>101</sup> = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)	
---	--------------------------------------	--	---	--

101 कीमत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 2:</b> a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव e. साझेदारी को बढ़ाना	प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत  अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।	
		<b>चरण 3:</b> a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>102</sup> : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर <sup>103</sup> = ₹15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट <sup>104</sup> = ₹50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<b>चरण 1:</b> a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है <sup>105</sup> = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष _ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

102 लागत बाजार भाव के अनुसार

103 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

104 लागत बाजार भाव के अनुसार

105 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=ln%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<b>चरण 2 और 3:</b> a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत <sup>106</sup> : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ <sup>107</sup> : ₹35,00,000	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<b>चरण 1:</b> a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		<b>चरण 2:</b> a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<b>चरण 3:</b> a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

106 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

107 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4.	बेहतर स्वच्छता प्रबंधन	<b>चरण I:</b> घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना <b>चरण II और III:</b> शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत = ₹15,000 से ₹20,000	

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1	सौर छतें	<b>चरण 1:</b> सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि) अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता	वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh में) = स्थापित क्षमता (kW) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें) स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता = पंचायत भवन + स्कूल 1 + स्कूल 2.... + कोई अन्य पीआरआई भवन kWh लागत = ₹50,000 <sup>108</sup> प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365	उत्पन्न वार्षिक बिजली (kWh)* 0.82/ 1000 = ___ tCO <sub>2</sub> e
---	----------	--	---	--

108 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<p><b>चरण 2 और 3:</b> परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p><b>चरण 2:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p><b>चरण 3:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 kWp</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 kWp</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (kWp) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>kWp लागत = ₹50,000<sup>109</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2 <sup>110</sup>	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p><b>चरण 2:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p><b>चरण 3:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 kWp स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 kWp पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWp में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति kWh लागत = ₹1 लाख<sup>111</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

109 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

110 [https://solarrooftop.gov.in/rooftop\\_calculator](https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator)

111 स्थापना की लागत बाजार दर के अनुसार



क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	<p><b>चरण 1:</b> 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 kWh</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (kWh) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹3 से 5 लाख<sup>112</sup></p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO<sub>2</sub>e)</p>
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p><b>चरण 1:</b> 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000 2 से 3 m<sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000<sup>113</sup></p>	

112 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

113 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा दक्षता	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p><b>चरण 3:</b> सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = <b>₹70</b></p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = <b>₹220</b></p> <p>1 ईई पंखे की लागत = <b>₹1,110<sup>114</sup></b></p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = <b>₹50,000</b></p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = <b>₹10,000<sup>115</sup></b></p>	

## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	<p>क्षमता: <b>1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक</b> टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागो:</p> <p>₹8-15 लाख प्रवित यविनट लागत: <b>8-15 लाख प्रति यूनिट<sup>116</sup></b></p>	
---	---	--------------------------	--	--

114 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत ( <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf> )

115 बाजार दर के अनुसार लागत

116 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

# अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

## एसडीजी 2: जीरो हंगर



**लक्ष्य 2.3:** भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

**लक्ष्य 2.4:** वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

**लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.:** सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

## एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



**लक्ष्य 3.3:** एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

**लक्ष्य 3.9:** खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

## एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



**लक्ष्य 6.1:** पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुँच प्राप्त करना।

**लक्ष्य 6.3:** वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

**लक्ष्य 6.4:** सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

**लक्ष्य 6.5:** सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

**लक्ष्य 6.8:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 6.a :** अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

## एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



**लक्ष्य 7.1:** किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


**लक्ष्य 7.2:** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

**लक्ष्य 7.3:** ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

**लक्ष्य 7.a :** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य 7.b:** विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

## एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



**लक्ष्य 8.3:** विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

## एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



**लक्ष्य 9.1:** गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

## एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



**लक्ष्य 11.2:** सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

**लक्ष्य 11.4:** विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 11.7:** वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

## एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



**लक्ष्य 12.2:** प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

**लक्ष्य 12.4:** वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.8:** वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

## एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



**लक्ष्य 13.1:** सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

**लक्ष्य 13.2:** जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

**लक्ष्य 13.3:** जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

## एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



**लक्ष्य 15.1:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

**लक्ष्य 15.2:** वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

**लक्ष्य 15.3:** वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

**लक्ष्य 15.9:** वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

## अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>इमारती लकड़ी के पेड़</b>			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिट्टरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
<b>फल और जंगली खाद्य पौधे</b>			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

### औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।



पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़</b>			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंटेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
<b>अन्य पेड़</b>			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



# NOTES

# NOTES



